

[2024] आईएनएससी 23

रिपोर्टेबल

भारत का सर्वोच्च न्यायालय

दीवानी अपीलिय क्षेत्राधिकार

दीवानी अपील संख्या 6503 / 2022

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड एवं अन्य.

अपीलार्थी (गण)

बनाम

एमबी पॉवर (मध्यप्रदेश) लिमिटेड एवं अन्य.

प्रतिवादी (गण)

मयदीवानी अपील नंबर 6502/2022दीवानी अपील नंबर 4612/2023हेडनोट्स -

विद्युत अधिनियम, 2003 धारा 63, 86 राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (आरवीपीएन) ने प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया द्वारा 1000 मेगावाट बिजली की खरीद के लिए अनुमोदन की मांग करते हुए राज्य आयोग के समक्ष याचिका दायर की - आरएफपी जारी किया गया। अंततः, एलओआई के अनुरूप, एल-1, एल-2 और एल-3 बोलीदाताओं के साथ पीपीए पर हस्ताक्षर किए गए - राज्य आयोग ने माना कि ईएसी द्वारा अनुशंसित राज्य में मांग को देखते हुए केवल 500 मेगावाट बिजली की मात्रा को मंजूरी दी जानी चाहिए और इसने एल-1 से एल-3 बोलीदाताओं द्वारा उद्धृत शुल्क को मंजूरी दे दी - एल-2 और एल-3 बोलीदाताओं द्वारा एपीटीईएल के समक्ष दायर अपीलें स्वीकार की गईं - अपीलकर्ताओं द्वारा चुनौती दी गई - इसके बाद, एल-5 बोलीदाता द्वारा भी सिविल अपीलें दायर की गईं - अपीलों का निपटारा करते हुए, राज्य आयोग को एल-4 और एल-5 बोलीदाताओं के संबंध में शुल्क अपनाने के लिए अनुमोदन के मुद्दे पर विचार करने का निर्देश दिया गया - इसके अलावा, दिनांक 19.11.18 के आदेश के अनुसार, राज्य आयोग को शुल्क अपनाने के मुद्दे पर विचार करने का निर्देश दिया गया। राज्य आयोग ने माना कि एल-4 और एल-5 बोलीदाताओं द्वारा पेश किए गए शुल्क प्रचलित बाजार मूल्यों के अनुरूप नहीं थे - एल-5 बोलीदाता द्वारा

दायर अपील, एपीटीईएल द्वारा स्वीकृत - प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा रिट याचिका दायर की गई - आक्षेपित निर्णय द्वारा स्वीकृत।

निर्णय

बी. आर. गवई, न्यायाधिपति

सिविल अपील संख्या 6503/022 एवं सिविल अपील संख्या 6502/2022

1. ये अपीलें राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ जयपुर द्वारा डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 14815 / 2020 में दिनांक 20 सितम्बर 2021 को पारित निर्णय एवं आदेश को चुनौती देती हैं, जिसके द्वारा एम.बी. पावर (मध्य प्रदेश) लिमिटेड (जिसे आगे "एम.बी. पावर" कहा जाएगा), प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा दायर उक्त रिट याचिका को स्वीकार किया गया है। आक्षेपित आदेश एवं निर्णय द्वारा उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि प्रतिवादी संख्या 1 से 5 (यहां अपीलकर्ता और राजस्थान राज्य) सफल बोलीदाताओं से कुल 906 मेगावाट बिजली खरीदने के लिए बाध्य हैं। इसलिए, इसने रिट याचिकाकर्ता-एमबी पावर (प्रतिवादी संख्या 1) और प्रतिवादी संख्या 7 - पीटीसी इंडिया लिमिटेड (जिसे आगे "पीटीसी इंडिया" कहा जाएगा) को उक्त रिट याचिका (वर्तमान अपील में प्रतिवादी संख्या 2) में प्रतिवादियों (यहां अपीलकर्ताओं) को 906 मेगावाट की सीमा के भीतर 200 मेगावाट बिजली की आपूर्ति करने का निर्देश दिया। इसने रिट याचिकाकर्ता-एमबी पावर और पीटीसी इंडिया, उक्त रिट याचिका में प्रतिवादी संख्या 7 को, उक्त रिट याचिका में प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के समक्ष, आदेश की तिथि से दो सप्ताह के भीतर बैंक गारंटी आदि सहित आवश्यक अपेक्षित शर्तों का अनुपालन करते हुए, प्रस्ताव के लिए अनुरोध (जिसे आगे "आरएफपी" के रूप में संदर्भित किया गया है) के अनुसार उचित आवेदन दायर करने का निर्देश दिया। इसने उक्त रिट याचिका में प्रतिवादी संख्या 1 से 5 को निर्देश दिया कि वे रिट याचिकाकर्ता के बिजली उत्पादन स्टेशन से 200 मेगावाट बिजली की आपूर्ति के लिए पीटीसी इंडिया के माध्यम से दायर बोली के संबंध में आशय पत्र (संक्षेप में एलओआई) जारी करें, अर्थात् 5.517/ रुपये प्रतिकिलोवाट घंटे के स्तरीकृत

शुल्क पर एमबी बिजली, उनकी बोली के संदर्भ में बोली मूल्यांकन समिति (संक्षेप में बीईसी) द्वारा योग्य और एल -7 रैंक दिया गया है। इसने उक्त रिट याचिका में प्रतिवादी संख्या 1 से 5 को आगे निर्देश दिया कि इसके तुरंत बाद दो सप्ताह के भीतर, एमबी पावर के बिजली उत्पादन स्टेशन से 200 मेगावाट बिजली खरीदने के लिए पीटीसी इंडिया के साथ बिजली खरीद समझौता ("संक्षेप में "पीपीए") निष्पादित करें और फिर कानून के अनुसार बिजली खरीदना शुरू करें। एक अंतरिम उपाय के रूप में, इसने निर्देश दिया कि इसके समक्ष खरीददार-प्रतिवादियों द्वारा वास्तव में भुगतान किया जाने वाला शुल्क अंतरिम शुल्क होगा यानी 2.88 रुपये प्रति यूनिट, जैसा कि इस न्यायालय ने 28 सितंबर 2020 को सिविल अपील संख्या 2721 / 2020 में आई.ए. नंबर 83693/2020 में पारित अपने अंतरिम आदेश में निर्दिष्ट किया है। इसने आगे कहा कि पीपीए के तहत पीटीसी इंडिया (इसके समक्ष प्रतिवादी संख्या 7) को भुगतान किए जाने वाले शुल्क को अंतिम रूप से अपनाना इस न्यायालय के समक्ष लंबित उक्त सिविल अपील संख्या 2721/2020 के अंतिम परिणाम के अधीन होगा।

संक्षिप्त तथ्य:

2. इन दो अपीलों को दायर करने के लिए अग्रणी तथ्य, जैसा कि सिविल अपील संख्या 6503/2022 में उल्लिखित है, निम्नानुसार हैं:

2.1 भारत सरकार ने विद्युत अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "विद्युत अधिनियम" कहा जाएगा) की धारा 63 के अंतर्गत 19 जनवरी 2005 की अधिसूचना के माध्यम से प्रतिस्पर्धी बोली दिशा-निर्देशों (जिसे आगे "बोली दिशानिर्देश" कहा जाएगा) को अधिसूचित किया। उक्त बोली दिशानिर्देशों का उद्देश्य प्रतिस्पर्धा की शुरुआत और उपभोक्ता हितों की सुरक्षा करना है।

2.2 21 सितंबर 2009 को, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (जिसे आगे "आरवीपीएन" कहा जाएगा) ने राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (जिसे आगे "राज्य आयोग" कहा जाएगा) के समक्ष याचिका संख्या 205/2009 दायर की, जिसमें प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया द्वारा 1000 मेगावाट बिजली की खरीद के लिए अनुमोदन मांगा गया।

2.3 28 मई 2012 को, आरवीपीएन ने बोली दिशानिर्देशों के तहत 1000 मेगावाट की खरीद के लिए प्रतिस्पर्धी बोली में भाग लेने के लिए विक्रेताओं को आमंत्रित करते हुए एक आरएफपी जारी किया।

2.4 फरवरी 2013 के महीने में, बोलीदाताओं से बोलियाँ प्राप्त हुईं।

2.5 4 अप्रैल 2013 को, बीईसी द्वारा गैर-वित्तीय बोलियों के प्रारंभिक मूल्यांकन के आधार पर, 7 बोलीदाताओं को वित्तीय बोलियाँ खोलने के लिए योग्य घोषित किया गया। यहां एम बी पावर प्रतिवादी संख्या 1 उपरोक्त प्रक्रिया में बोलीदाता नहीं थी। प्रतिवादी संख्या 2 - पीटीसी इंडिया ने 1041 मेगावाट के लिए बोली प्रस्तुत की थी, जिसे उसे पांच अलग-अलग उत्पादकों से खरीदना था। पीटीसी इंडिया एक पावर-ट्रेडिंग लाइसेंसधारी कंपनी है, जिसने बोली बांड जमा करने के बाद बोली दस्तावेज प्राप्त किया था।

2.6 17 अप्रैल 2013 और 22 अप्रैल 2013 के बीच आयोजित विभिन्न बैठकों में, बीईसी ने प्राप्त बोलियों को निम्नतम से उच्चतम शुल्क तक बढ़ते क्रम में इस प्रकार रखा था:

रैंक	योग्य बोलीदाता का नाम	स्तरीकृत टैरिफ (रु./किलोवाट घंटा)	प्रस्तावित क्षमता	प्रस्तावित संचयी क्षमता	औसत संचयी टैरिफ (रु./किलोवाट घंटा)
एल-1	पीटीसी-मारुति क्लीन कोल एंड पावर लिमिटेड	4.517	195	195	4.517
एल-2	पीटीसी-डीबी पावर लिमिटेड	4.811	311	506	4.698

एल-3	एलपीएल-लैंको बाबंघ पावर लिमिटेड	4.943	100	606	4.738
एल-4	पीटीसी - एथेना छत्तीसगढ़ पावर लिमिटेड	5.143	200	806	4.839
एल-5	एसकेएस पावर जेनरेशन (छत्तीसगढ़) लिमिटेड	5.300	100	906	4.890
एल-6	एलपीएल-लैंको विदर्भ थर्मल पावर लिमिटेड	5.490	100	1006	4.949
एल-7	पीटीसी-एमबी पावर (मध्य प्रदेश) लिमिटेड	5.517	200	1206	5.043
एल-8	केएसके महानदी पावर कंपनी लिमिटेड	5.572	475	1681	5.193
एल-9	जिंदल पावर लिमिटेड	6,038	300	1981	5.321
एल-10	एलपीएल-लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड	7.110	100	2081	5.407

2.7 आरवीपीएन के निदेशक मंडल की 216 वीं बैठक में बीईसी से राय लेने का निर्णय लिया गया कि क्या दीर्घकालिक प्रभाव और शामिल राशियों की मात्रा को ध्यान में रखते हुए टैरिफ को कम करने के लिए बातचीत की जानी चाहिए।

2.8 4 जून 2013 को बीईसी ने अपनी राय दी कि चूंकि उद्धृत दरें काफी भिन्न हैं, इसलिए बोलीदाताओं के साथ बातचीत की जा सकती है।

2.9 दिनांक 4 जून 2013 के संकल्प के अनुसार, आरवीपीएन के बोर्ड ने योग्य बोलीदाताओं के साथ बातचीत करने का निर्णय लिया।

2.10 बातचीत में, निम्नलिखित प्रस्ताव प्राप्त हुए:

एल-1/मारुति क्लीन कोल एंड पावर लिमिटेड ने 55 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता की पेशकश की, जो कुल मिलाकर 250 मेगावाट होगी।

एल-2/डीबी पावर लिमिटेड ने अन्य बातों के साथ-साथ 99 मेगावाट की अतिरिक्त मात्रा में बिजली उपलब्ध कराने पर सहमति व्यक्त की, जो कुल मिलाकर 410 मेगावाट होगी।

इसी प्रकार, एल-3/लैंको पावर लिमिटेड ने 250 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता की पेशकश की, जो कुल मिलाकर 350 मेगावाट हो गई।"

2.11 आरवीपीएन के निदेशक मंडल ने 27 सितंबर 2013 को आयोजित अपनी बैठक में निर्देश दिया कि, शुल्क को अपनाते समय राज्य आयोग की मंजूरी के अधीन, एल-1, एल-2 और 1-3 बोलीदाताओं के पक्ष में निम्नानुसार एलओआई जारी किया जाए।

क्र.सं.	बोलीदाता	उद्धृत टैरिफ (रु./ किलोवाट घंटा)	बोली में प्रस्तावित क्षमता (मेगावाट)	प्रस्तावित अतिरिक्त क्षमता (मेगावाट)
1	मेसर्स पीटीसी इंडिया लिमिटेड (डेवलपर मेसर्स मारुति क्लीन कोल एंड पावर लिमिटेड)	4.517	195	55

	के माध्यम से)			
2	मेसर्स पीटीसी इंडिया लिमिटेड (अपने डेवलपर मेसर्स डीबी पावर लिमिटेड के माध्यम से))	4.811	311	99
3	मेसर्स लैंको पावर लिमिटेड (उत्पादन स्रोत मेसर्स लैंको बाबंघ पावर लिमिटेड)	4.892	100	250
	कुल		606	404
	संपूर्ण कुल (ए+बी)		1010 मेगावॉट	

2.12 एलओआई के अनुरूप, 1 नवंबर 2013 को एल-1, एल-2 और एल-3 बोलीदाताओं के साथ पीपीए पर हस्ताक्षर किए गए। इसके बाद, आरवीपीएन ने बोली प्रक्रिया के अंतर्गत केस-1 के अंतर्गत सफल बोलीदाताओं (एल-1, एल-2 और एल-3) द्वारा उद्धृत 1000 मेगावाट ($\pm 10\%$) की दीर्घकालिक आधार भार बिजली की खरीद के लिए टैरिफ अपनाने के लिए विद्युत अधिनियम की धारा 63 सपठित बोली दिशानिर्देशों के खंड 5.16 में राज्य आयोग के समक्ष याचिका संख्या 431/2013 दायर की।

2.13 राजस्थान सरकार द्वारा विद्युत खरीद विनियमों के विनियम 3 के अनुसरण में गठित ऊर्जा मूल्यांकन समिति (संक्षेप में "ईएसी") ने 29 जनवरी 2014 को आयोजित अपनी चौथी बैठक में सिफारिश की कि केस-1 के अंतर्गत 1000 मेगावाट ($\pm 10\%$) बिजली की दीर्घकालिक खरीद की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसके लिए पीपीए निष्पादित किए जा चुके हैं और टैरिफ अपनाने की याचिका राज्य आयोग के समक्ष दायर की जा चुकी है।

2.14 इस बीच, एल-4 और एल-5 बोलीदाताओं ने उच्च न्यायालय के समक्ष क्रमशः सीडब्ल्यूपी संख्या 19437/2013 और सीडब्ल्यूपी संख्या 18699/2013 के तहत रिट याचिकाएं दायर कीं, जिसमें बातचीत की प्रक्रिया और एल-1, एल-2 और एल-3 बोलीदाताओं को दी गई उच्च राशि को रद्द करने की मांग की गई।

2.15 उच्च न्यायालय ने 7 फरवरी 2014 के निर्णय के तहत रिट याचिकाओं पर विचार करने से इनकार कर दिया और पक्षों को राज्य आयोग के पास भेज दिया। उक्त आदेश दिनांक 7 फरवरी 2014 को एल-4 और एल-5 बोलीदाताओं द्वारा डीबी विशेष अपील (रिट) संख्या 538/2014 और 604/2014 के माध्यम से रिट अपील के माध्यम से चुनौती दी गई। उक्त अपीलों को उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 18 अप्रैल 2014 के निर्णय और आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया।

2.16 तत्पश्चात, 21 मई 2014 को आयोजित अपनी 5 वीं बैठक में, ईएसी ने सिफारिश की कि 1000 मेगावाट बिजली की मात्रा के मुकाबले, जिसके लिए पीपीए निष्पादित किए गए थे और टैरिफ अपनाने की याचिका दायर की गई थी, विभिन्न स्रोतों से बिजली की उपलब्धता और भविष्य की आकस्मिकताओं को पूरा करने के लिए 600 मेगावाट बिजली की मांग पर विचार किया जाना चाहिए।

2.17 इसलिए, राजस्थान सरकार ने 25 जुलाई 2014 को आरवीपीएन को जारी अपने पत्र के माध्यम से, दीर्घावधि आधार पर 500 मेगावाट बिजली की खरीद को मंजूरी दे दी, जबकि 1000 मेगावाट की मात्रा के लिए पीपीए पहले ही निष्पादित किए जा चुके थे।

2.18 ईएसी के निर्णय/सिफारिश और राजस्थान सरकार द्वारा जारी निर्देश के आधार पर, आरवीपीएन ने ईएसी निर्णय/सिफारिश तथा राजस्थान सरकार की मंजूरी को रिकॉर्ड पर लाने के लिए याचिका संख्या 431/2013 में आरईआरसी (वितरण लाइसेंस की बिजली खरीद और खरीद प्रक्रिया) विनियम 2004 (जिसे आगे "आरईआरसी विनियम 2004" के रूप में संदर्भित किया गया है) विनियम 7 के तहत एक आवेदन दायर किया। उक्त आवेदन में, अन्य बातों के साथ-साथ, शुल्क को अपनाने तथा मूल 1000 मेगावाट

बिजली के स्थान पर खरीदी जाने वाली 500 मेगावाट बिजली की कम मात्रा को मंजूरी देने की प्रार्थना की गई थी, जिसके लिए सफल बोलीदाताओं के साथ पीपीए पहले ही निष्पादित किए जा चुके थे।

2.19 याचिका संख्या 431/2013 में 22 जुलाई 2015 के आदेश के अनुसार, राज्य आयोग ने माना कि ईएसी द्वारा अनुशंसित राज्य में मांग को देखते हुए केवल 500 मेगावाट बिजली की मात्रा को मंजूरी दी जानी थी। राज्य आयोग ने एल-1 से एल-3 बोलीदाताओं द्वारा उद्धृत शुल्क को भी मंजूरी दी।

2.20 राज्य आयोग द्वारा मात्रा में की गई कमी से व्यथित होकर, एल-2 और एल-3 बोलीदाताओं ने विद्युत के लिए विद्वान अपीलीय न्यायाधिकरण (जिसे आगे "विद्वान एपीटीईएल" के रूप में संदर्भित किया जाएगा) के समक्ष अपील दायर की, जो क्रमशः अपील संख्या 235/2015 और 191/2015 है।

2.21 एल-4 और एल-5 बोलीदाताओं द्वारा दो अलग-अलग अपील भी दायर की गईं, जो क्रमशः अपील संख्या 264/2015 और अपील संख्या 202/2015 है, जिसमें राज्य आयोग द्वारा 1000 मेगावाट से 500 मेगावाट तक की मात्रा में की गई कमी को चुनौती देने के अलावा, एल-1, एल-2 और एल-3 बोलीदाताओं को दी गई मात्रा में वृद्धि को भी चुनौती दी गई।

2.22 दिनांक 2 फरवरी 2018 के आदेश के अनुसार, विद्वान एपीटीईएल ने एल-3 और एल-2 बोलीदाताओं द्वारा दायर अपील संख्या 191/2015 और 235/2015 को स्वीकार किया, जिसमें कहा गया कि राज्य आयोग द्वारा मात्रा को 1000 मेगावाट से घटाकर 500 मेगावाट करना गलत था। इसलिए, इसने राज्य आयोग को एल-2 और एल-3 बोलीदाताओं के लिए पीपीए को मंजूरी देने के लिए परिणामी आदेश पारित करने का निर्देश दिया, जिस पर बातचीत की गई थी।

2.23 विद्वान एपीटीईएल के दिनांक 2 फरवरी 2018 के आदेश को वर्तमान अपीलकर्ताओं ने सिविल अपील संख्या 3481-3482/2018 के माध्यम से इस न्यायालय के समक्ष इस आधार पर चुनौती दी थी कि आरएफपी की मात्रा 500 मेगावाट से 1000 मेगावाट तक बहाल नहीं की जा सकती। तत्पश्चात, एल-5

बोलीदाता- एसकेएस पावर जनरेशन (छत्तीसगढ़) लिमिटेड (जिसे आगे "एसकेएस पावर" के रूप में संदर्भित किया जाएगा) द्वारा सिविल अपील संख्या 2502-2503/2018 भी इस आधार पर दायर की गई कि राज्य आयोग एल-2 और एल-3 बोलीदाताओं द्वारा उच्च मात्रा की खरीद की अनुमति नहीं दे सकता था।

2.24 दिनांक 25 अप्रैल 2018 के आदेश के अनुसार, उक्त सिविल अपीलों का निपटारा इस न्यायालय द्वारा विद्वान एपीटीईएल के निर्णय को बरकरार रखते हुए, बोली प्रक्रिया समाप्त होने के बाद 1000 मेगावाट से 500 मेगावाट तक खरीद की मात्रा को कम करने के निर्णय को अपास्त करते हुए, किया गया। हालांकि, इस न्यायालय ने माना कि व्यक्तिगत बोलीदाताओं से खरीदी जाने वाली मात्रा पर विद्वान एपीटीईएल का निर्णय उलट दिया जाना था और बोली प्रक्रिया में बोलीदाताओं द्वारा मूल रूप से पेश की गई मात्रा को ध्यान में रखा जाना चाहिए तथा बातचीत के माध्यम से मात्रा में वृद्धि स्वीकार्य नहीं है। जहां तक एल-4 और एल-5 बोलीदाताओं का संबंध है, चूंकि उद्धृत टैरिफ पर किसी भी स्तर पर खरीददार, या आरवीपीएन या राज्य आयोग द्वारा विचार नहीं किया गया था, इसलिए इस न्यायालय ने राज्य आयोग को एल-4 और एल-5 बोलीदाताओं के संबंध में टैरिफ को अपनाने के लिए अनुमोदन के मुद्दे पर विचार करने का निर्देश दिया।

2.25 इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 25 अप्रैल 2018 के निर्णय और आदेश के पश्चात, बीईसी इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि एल-4 और एल-5 बोलीदाताओं द्वारा उद्धृत शुल्क प्रचलित बाजार मूल्यों के अनुरूप नहीं थे।

2.26 इस बीच, दिनांक 19 नवंबर 2018 के आदेश के तहत, इस न्यायालय ने आरवीपीएन द्वारा दायर एक आवेदन पर, राज्य आयोग को विद्युत अधिनियम की धारा 63 और उक्त प्रावधान के तहत इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून शुल्क को अपनाने के मुद्दे पर विचार करने का निर्देश दिया।

2.27 दिनांक 26 फरवरी 2019 के आदेश के अनुसार, राज्य आयोग ने माना कि एल-4 और एल-5 बोलीदाताओं द्वारा पेश किए गए टैरिफ प्रचलित बाजार मूल्यों के अनुरूप नहीं थे।

2.28 इससे व्यथित होकर, एसकेएस पावर (एल-5 बोलीदाता) ने 26 फरवरी 2019 के उपरोक्त आदेश को अपील संख्या 224/2019 के माध्यम से विद्वान एपीटीईएल के समक्ष चुनौती दी।

2.29 दिनांक 3 फरवरी 2020 के निर्णय और आदेश के अनुसार, विद्वान एपीटीईएल ने एल-5 बोलीदाता - एसकेएस पावर की अपील को स्वीकार कर लिया और माना कि राज्य आयोग को अनिवार्य रूप से शुल्क को अपनाना था, और इस पर विचार करने का कोई अधिकार नहीं था कि शुल्क बाजार मूल्यों के अनुरूप था या नहीं।

2.30 इससे व्यथित होकर वर्तमान अपीलकर्ताओं ने सिविल अपील संख्या 1937/2020 तथा सिविल अपील संख्या 2721/2020 दायर की है। प्रारंभ में वर्तमान अपीलों को उक्त अपीलों के साथ जोड़ किया गया था। हालांकि, 10 अक्टूबर 2023 के आदेश के तहत उन्हें हटा दिया गया है।

2.31 सिविल अपील संख्या 2721/2020 में एल-5 बोलीदाता-एसकेएस पावर द्वारा दायर एक अंतरिम आवेदन आई.ए. संख्या 83693/2020 पर, इस न्यायालय द्वारा 28 सितंबर 2020 को एक अंतरिम आदेश पारित किया गया, जिसमें कहा गया कि एल-5 बोलीदाता अपीलकर्ताओं को 2.88 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली की आपूर्ति करने का हकदार था।

2.32 ऐसा प्रतीत होता है कि तत्पश्चात 14 दिसंबर 2020 को प्रतिवादी संख्या 1-एमबी पावर द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका संख्या 14815/2020 दायर की गई, जिसमें निम्नलिखित राहत मांगी गई:

"(ए) आरटीपीपी नियमों के नियम 69(2)(बी) को, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1)(जी) और 21 के साथ-साथ विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के अधिकारातीत घोषित करते हुये, घोषणा या आदेश या कोई अन्य रिट या निर्देश की प्रकृति में उचित रिट या आदेश या निर्देश जारी करें;

(बी) प्रतिवादी संख्या 1-4 को याचिकाकर्ता के पक्ष में तुरंत आशय पत्र जारी करने, याचिकाकर्ता के साथ उसकी बोली टैरिफ के अनुसार बिजली खरीद समझौते पर हस्ताक्षर करने, याचिकाकर्ता के टैरिफ को अपनाने के लिए कदम उठाने और तुरंत बिजली की आपूर्ति शुरू करने का निर्देश देने के लिए परमादेश की प्रकृति में उचित रिट या आदेश या निर्देश जारी करें।

(ग) न्याय के हित में इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा उपयुक्त और उचित समझे जाने वाले अन्य आदेश पारित करें।"

2.33 वर्तमान अपीलकर्ताओं द्वारा दायर अपीलों में, अर्थात् सिविल अपील संख्या 1937/2020 और 2721/2020 में, प्रतिवादी संख्या 1-एमबी पावर ने इस आधार पर पक्षकार बनाने के लिये आवेदन दायर किया कि उक्त अपीलों में इस न्यायालय द्वारा शुल्क अपनाने में राज्य आयोग की भूमिका के मुद्दे पर निर्णय लेने से उच्च न्यायालय के समक्ष उसके द्वारा दायर रिट याचिका पर प्रभाव पड़ेगा।

2.34 दिनांक 19 अप्रैल 2021 के आदेश के तहत, इस न्यायालय ने अभियोग लगाने के लिए उक्त आवेदन पर उक्त अपीलों की सुनवाई के चरण में विचार करने का निर्देश दिया।

2.35 आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा, एमबी पावर द्वारा दायर उक्त रिट याचिका उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्देशों के अनुसार स्वीकार की गई है।

2.36 अतः वर्तमान अपीलें।

सिविल अपील संख्या 4612/2023

3. राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (जिसे आगे "आरयूवीएनएल" कहा जाएगा) द्वारा दायर यह अपील दिनांक 1 जून 2023 को विद्वान एपीटीईएल द्वारा पारित आदेश को चुनौती देती है, जिसके

अनुसार, विद्वान एपीटीईएल ने राज्य आयोग द्वारा याचिका संख्या आरईआरसी-2097/2023 में पारित 31 मार्च 2023 के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है।

4. सिविल अपील संख्या 4612/2023 दायर करने के लिए आवश्यक तथ्य, संक्षेप में, निम्नानुसार हैं:

4.1 वर्ष 2022 में, आरयूवीएनएल ने दीर्घकालिक आधार पर 294 मेगावाट बिजली की खरीद का प्रस्ताव रखा था और उस उद्देश्य के लिए राज्य आयोग के समक्ष याचिका संख्या 2017/2022 दायर की थी।

4.2 दिनांक 2 नवंबर 2022 के आदेश के तहत, राज्य आयोग ने दीर्घकालिक आधार पर बिजली की खरीद को अस्वीकार कर दिया।

4.3 इसके बाद, बिजली के मूल्यांकन और आवश्यकता पर विचार करते हुए, आरयूवीएनएल ने राज्य आयोग के समक्ष याचिका संख्या आरईआरसी-2097/2023 दायर की, जिसमें मध्यम अवधि के आधार पर 160 मेगावाट बिजली की खरीद के लिए अनुमोदन मांगा गया, यानी 25 वर्षों के लिए नहीं बल्कि 5 वर्षों की अवधि के लिए।

4.4 राज्य आयोग ने 31 मार्च 2023 के आदेश के तहत प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से मध्यम अवधि के आधार पर 160 मेगावाट चौबीसों घंटे ईंधन तटस्थ बिजली की खरीद के लिये राजस्थान राज्य में वितरण लाइसेंसधारियों को अनुमोदन प्रदान किया।

4.5 इससे व्यथित होकर, प्रतिवादी संख्या 1, अर्थात्, एमबी पावर (मध्य प्रदेश) लिमिटेड ने राज्य आयोग द्वारा पारित दिनांक 31 मार्च 2023 के आदेश के विरुद्ध विद्वान एपीटीईएल के समक्ष अपील संख्या 466/2023 दायर की, साथ ही आदेश पर रोक लगाने के लिए आईए संख्या 1004/2023 भी दायर की।

4.6 दिनांक 1 जून 2023 के विवादित आदेश के तहत, विद्वान एपीटीईएल ने राज्य आयोग द्वारा पारित आदेश के संचालन पर रोक लगा दी और निर्देश दिया कि मध्यम अवधि के आधार पर 160 मेगावाट बिजली

की खरीद के लिए बोली प्रक्रिया में न तो बोली को अंतिम रूप दिया जाएगा और न ही बोलियों के खुलने के बाद कोई आशय पत्र जारी किया जाएगा।

4.7 इससे व्यथित होकर, आरयूवीएनएल ने वर्तमान अपील दायर की है।

5. दिनांक 26 सितम्बर 2023 के आदेश के तहत इस न्यायालय ने अपीलकर्ता को मध्यम अवधि की खरीद के लिए मॉडल बोली दस्तावेजों के आधार पर 5 वर्षों के लिए 160 मेगावाट बिजली की खरीद के लिए निविदा प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की अनुमति दी थी।

6. 10 अक्टूबर 2023 के आदेश के अनुसार, इस न्यायालय को सूचित किया गया था कि 26 सितंबर 2023 के उपरोक्त आदेश के अनुसरण में बोलियां खोली गई थीं और सबसे कम बोली 5.30 रुपये प्रति यूनिट थी। परिणामस्वरूप, इस न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि वर्तमान अपील का लंबित होना अपीलकर्ता के लिए निविदा को अंतिम रूप देने और सफल बोलीदाताओं के साथ बिजली खरीद समझौते को निष्पादित करने के रास्ते में नहीं आएगा और बिजली की कमी की कठिनाई को दूर करने के लिए अपीलकर्ता ऐसा करने के लिए स्वतंत्र होगा।

7. विद्वान एपीटीईएल का 1 जून 2023 का आदेश मूल रूप से राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर स्थित खंडपीठ की डी.बी. में पारित निर्णय पर निर्भर करता है। सिविल रिट याचिका संख्या 14815/2020, जो सिविल अपील संख्या 6503/2022 और 6502/2022 में चुनौती का विषय है। इस प्रकार, सिविल अपील संख्या 4612/2023 का परिणाम सिविल अपील संख्या 6503/2022 और 6502/2022 के परिणाम पर निर्भर करेगा।

अपीलकर्ताओं के तर्क -

8. हमने अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री पी. चिदंबरम और प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. ए.एम. सिंघवी और श्री सी.एस. वैद्यनाथन को सुना।

9. श्री चिदंबरम ने शुरू में कहा कि प्रतिवादी संख्या 1-एमबी पावर द्वारा दायर रिट याचिका, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने मूल अधिकार क्षेत्र में उच्च न्यायालय के समक्ष विचारणीय नहीं थी। यह प्रस्तुत किया गया है कि, यदि प्रतिवादी संख्या 1-एमबी पावर को कोई शिकायत थी, तो वह या तो राज्य आयोग या विद्वान एपीटीईएल से संपर्क कर सकता था।

10. उन्होंने प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय ने ¹ पीटीसी इंडिया लिमिटेड बनाम केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग जरिये सचिव के मामले में माना है कि विद्युत अधिनियम, विद्युत से संबंधित सभी मामलों पर एक संपूर्ण संहिता है। विद्युत अधिनियम, उत्पादक और खरीददार/लाइसेंसधारी के बीच सभी विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए मंच प्रदान करता है। इस प्रकार, प्रतिवादी संख्या 1-एमबी पावर को यदि कोई शिकायत थी, तो उसे राज्य आयोग या विद्वान एपीटीईएल के समक्ष आवेदन दायर करना चाहिए था और वह अपने रिट क्षेत्राधिकार में सीधे उच्च न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटा सकता था।

11. श्री चिदंबरम ने आगे कहा कि हालांकि एल-1 से एल-5 बोलीदाता 2013 से लगातार अपनी शिकायतों पर मुकदमा कर रहे हैं, प्रतिवादी नंबर 1-एमबी पावर ने, चूंकि इसे शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया था, 2013 के बाद से कोई कदम नहीं उठाया। यह प्रस्तुत किया गया है कि, वास्तव में, एल-7 बोलीदाता की बोली वापस कर दी गई थी और 6 जनवरी 2015 को बोली बांड बैंक गारंटी को भी नहीं बढ़ाने का निर्देश दिया गया था। फिर भी, यह लगभग 6 वर्षों तक चुप रहा। उन्होंने आगे कहा कि 25 अप्रैल 2018 को इस न्यायालय द्वारा निर्णय और आदेश पारित किए जाने के बाद भी, प्रतिवादी नंबर 1-एमबी पावर ने लगभग दो वर्षों तक कोई कदम नहीं उठाया और पहली बार 14 दिसंबर 2020 को इसने उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 1-एमबी पावर ने अपीलकर्ताओं द्वारा 6 जनवरी 2015 को बिड बॉन्ड बैंक गारंटी का नवीनीकरण न करने के निर्देश को स्वीकार कर लिया था। इसलिए, श्री चिदंबरम ने प्रस्तुत किया कि रिट याचिका देरी के आधार पर खारिज किए जाने योग्य थी।

12. श्री चिदंबरम ने आगे कहा कि आरएफपी में "सफल बोलीदाता" शब्द को परिभाषित किया गया है। यह कहा गया है कि आरएफपी के अनुसार खरीदार/अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा चुने गए बोलीदाता(ओं) को आरएफपी की शर्तों के अनुसार स्वयं या परियोजना कंपनी के माध्यम से बिजली की आपूर्ति के लिए चुना गया है, और जिन्हें एलओआई जारी किया गया है, उन्हें ही "सफल बोलीदाता" कहा जा सकता है। चूंकि प्रतिवादी नंबर 1-एमबी पावर को कोई एलओआई जारी नहीं किया गया था, इसलिए इसे "सफल बोलीदाता" नहीं माना जा सकता।

13. श्री चिदंबरम ने कहा कि प्रतिवादी नंबर 1-एमबी पावर द्वारा प्रस्तुत "बाल्टी भरने" के सिद्धांत का आरएफपी या बोली दिशानिर्देशों में कोई आधार नहीं है। यह भी कहा गया है कि उक्त सिद्धांत एक खतरनाक प्रस्ताव है, क्योंकि यह उम्मीद की जाती है कि खरीदार को निचली रैंक वाली वित्तीय बोलियों को स्वीकार करना होगा, भले ही उनके द्वारा उद्धृत अत्यधिक टैरिफ कुछ भी हो। श्री चिदंबरम ने इस आशय का एक उदाहरण दिया है कि, यदि 1000 मेगावाट की खरीद के लिए बोली लगाई जाती है, तो 2 बोलीदाताओं को आगे रखा जा सकता है जो कम शुल्क की बोली लगाएंगे और एल-1 और एल-2 के रूप में रैंक किए जाएंगे। इसके बाद, एल-3 से आगे के लोग अत्यधिक शुल्क उद्धृत कर सकते हैं जो कि बाजार मूल्य के अनुरूप नहीं हैं। उन्होंने कहा कि "बाल्टी भरने" का यह भ्रामक सिद्धांत, जो खरीदार को अंतिम बोलीदाता के पास जाने के लिए बाध्य करेगा, भले ही उनका शुल्क पूरी तरह से अत्यधिक हो, बहुत खतरनाक है। यह प्रस्तुत किया गया है कि, किसी भी मामले में, आरएफपी का खंड 3.5.12 खरीदार को किसी भी बोली को अस्वीकार करने में सक्षम बनाता है जहां उद्धृत शुल्क बाजार मूल्यों के अनुरूप नहीं है।

14. श्री चिदंबरम ने आगे कहा कि इस न्यायालय द्वारा 25 अप्रैल 2018 के आदेश के माध्यम से जारी किए गए निर्देश विशेष रूप से एल-1 से एल-5 बोलीदाताओं तक सीमित थे, जो मुकदमा कर रहे थे। यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिवादी संख्या 1-एमबी पावर का यह तर्क कि इस न्यायालय का 25 अप्रैल 2018 का आदेश सभी पर लागू होने वाला आदेश है, गलत है।

15. आर. विश्वनाथन और अन्य बनाम रुकन-उल-मुल्क सैयद अब्दुल वाजिद मृतक और अन्य के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए, श्री चिदंबरम ने प्रस्तुत किया कि सभी पर लागू होने वाला निर्णय स्वयं ही मामले की नियति तय करता है। जबकि व्यक्तिगत आदेश न्यायालय के समक्ष व्यक्तियों के अधिकारों को निर्धारित करता है और केवल लंबित पक्षकारों के लिए बाध्य करता है। इस संबंध में डेक्कन पेपर मिल्स कंपनी लिमिटेड बनाम रीजेंसी महावीर प्रॉपर्टीज एवं अन्य के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भी भरोसा किया गया है।

16. श्री चिदंबरम ने आगे कहा कि प्रतिवादियों द्वारा प्रमाण पत्र पर भरोसा करना, जिसने प्रमाणित किया कि बोली मूल्यांकन प्रक्रिया आरएफपी के प्रावधानों के अनुरूप की गई थी, और इसलिए, शुल्क के निर्धारण में जाने की अनुमति नहीं है, गलत है। उन्होंने कहा कि प्रमाण पत्र यह प्रमाणित नहीं कर रहा है कि एल-7 "सफल बोलीदाता" के रूप में चुने जाने के योग्य था या उसने उद्धृत शुल्क के बावजूद अपनी बोली स्वीकार करने का अधिकार अर्जित किया था। उन्होंने कहा कि यदि एल-4 बोलीदाता का उद्धृत शुल्क 5.143 रुपये और एल-5 बोलीदाता का 5.300 रुपये गलत था, तो, निश्चित रूप से, एल-7 बोलीदाता का उद्धृत शुल्क 5.517 रुपये भी गलत था।

17. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि विद्युत अधिनियम की धारा 63 के तहत अधिकार क्षेत्र केवल डाकघर का नहीं है। राज्य आयोग के पास शुल्क अपनाने को अस्वीकार करने का अधिकार है, यदि यह बाजार की कीमतों के अनुरूप नहीं है। इस संबंध में, उन्होंने ⁴ टाटा पावर कंपनी लिमिटेड ट्रांसमिशन बनाम महाराष्ट्र विद्युत विनियामक आयोग एवं अन्य तथा ⁵ एनर्जी वॉचडॉग बनाम केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग एवं अन्य के मामलों में इस न्यायालय के निर्णयों का संदर्भ दिया।

18. श्री चिदंबरम ने कहा कि शुल्क को अपनाते समय राज्य आयोग उपभोक्ता हितों की सुरक्षा को ध्यान में रखने के लिए बाध्य है। इस संबंध में ⁶ जीएमआर वारोरा एनर्जी लिमिटेड बनाम केंद्रीय विद्युत

विनियामक आयोग (सीईआरसी) एवं अन्य के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया गया है, जिसमें इस न्यायालय ने उपभोक्ताओं के हितों को उत्पादकों के हितों के साथ संतुलित करने की आवश्यकता पर बल दिया है।

19. श्री चिदंबरम ने आगे कहा कि आरएफपी के खंड 2.15.1 और 3.5.12 तथा बोली दिशानिर्देशों के खंड 5.15 के मद्देनजर, अपीलकर्ताओं के पास सभी मूल्य बोलियों को अस्वीकार करने की शक्ति थी, यदि उद्धृत दरें प्रचलित बाजार मूल्यों के अनुरूप नहीं हैं।

20. श्री चिदंबरम ने अंत में कहा कि बोलीदाताओं को अनुबंध करने का कोई निहित अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 का उपयोग बोली लगाने वाले के पक्ष में अनुबंध देने के लिए नहीं किया जा सकता। इस संबंध में, वे इस न्यायालय के निम्नलिखित निर्णयों का हवाला देते हैं:

i. ⁷ टाटा सेलुलर बनाम भारत संघ

ii. ⁸ राजस्थान हाउसिंग बोर्ड और अन्य बनाम जी.एस. निवेश और अन्य

iii. ⁹ लक्ष्मीकांत और अन्य बनाम सत्यवान और अन्य

21. इसलिए, श्री चिदंबरम का कहना है कि आक्षेपित निर्णय और आदेश टिकाऊ नहीं है और इसे रद्द किया जाना चाहिए।

प्रतिवादियों के तर्क-

22. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. ए.एम. सिंघवी ने इसके विपरीत कहा है कि विद्युत अधिनियम की धारा 61 और 64 के साथ धारा 62 के विपरीत, विद्युत अधिनियम की धारा 63 के तहत, उपयुक्त आयोग केवल शुल्क को "अपनाता" है और शुल्क का "निर्धारण" नहीं करता है। हालांकि, विद्युत अधिनियम की धारा 63 के तहत मामलों में, केंद्रीय आयोग केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों से बंधा हुआ है और उसे अपने विनियामक कार्यों का प्रयोग, यद्यपि धारा 79(1)(बी) के तहत, केवल उन दिशानिर्देशों के अनुसार ही करना

अपेक्षित है। इस संबंध में, वह एनर्जी वॉचडॉग (उपरोक्त) और टाटा पावर कंपनी लिमिटेड ट्रांसमिशन (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर निर्भर करता है।

23. डॉ. सिंघवी ने प्रस्तुत किया कि आयोग द्वारा विद्युत अधिनियम की धारा 63 के तहत एक मामले में दो मुद्दों पर विचार किया जा सकता है:

(1) क्या बोली प्रक्रिया पारदर्शी थी; और

(2) क्या बोली प्रक्रिया केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार आयोजित की गई थी।

24. उन्होंने प्रस्तुत किया कि एक बार टैरिफ बोली प्रक्रिया का परिणाम है और बोली प्रक्रिया पारदर्शी है और बोली दिशानिर्देशों के अनुसार आयोजित की जाती है, तो उपयुक्त आयोग को ऐसे शुल्क को अपनाने का अधिकार है और उसके पास इस सवाल पर विचार करने का विवेक नहीं है कि यह बाजार के अनुरूप है या नहीं।

25. डॉ. सिंघवी ने आगे कहा कि विद्युत अधिनियम की धारा 63 के अनुसार बोली प्रक्रिया द्वारा पहले से निर्धारित शुल्क को अपनाते हुए, प्रतिवादी संख्या 1 की बोली के बाजार संरेखण का मुद्दा इन कार्यवाहियों में विचार के लिए नहीं उठता और न ही उठ सकता है।

26. उपर्युक्त प्रस्तुतियों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, डॉ. सिंघवी ने कहा कि राज्य आयोग के लिए बाजार संरेखण के प्रश्न पर जाना अनुमेय नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उद्धृत शुल्क न केवल वर्ष 2013 में बल्कि आज भी बाजार संरेखित था। डॉ. सिंघवी ने कहा कि इस न्यायालय द्वारा दी गई अनुमति के अनुसरण में 160 मेगावाट बिजली की खरीद के लिए हाल ही में की गई निविदा में, अपीलकर्ताओं द्वारा खोजी गई और अनुमोदित प्रथम वर्ष के शुल्क के लिए सबसे कम बोली 5.30 रुपये प्रति यूनिट है। यह प्रस्तुत किया गया है कि "प्रथम वर्ष के टैरिफ" और "स्तरीकृत शुल्क " के बीच बहुत बड़ा अंतर है। डॉ. सिंघवी ने कहा कि हालांकि, यदि बोली के पहले वर्ष में आपूर्ति के लिए यह प्रस्ताव 25 वर्षों के लिए समतल

किया जाता है, तो यह 7.91 रुपये प्रति यूनिट आएगा, जो कि उक्त बोलीदाता के पहले वर्ष के शुल्क से लगभग 50% अधिक है।

27. डॉ. सिंघवी ने कहा कि मेसर्स डेलोइट अपीलकर्ताओं और उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (संक्षेप में "यूपीपीसीएल") के लिए एक सामान्य सलाहकार है। उन्होंने कहा कि वास्तव में, मार्च 2013 में यूपीपीसीएल की बीईसी ने 5.849 रुपये प्रति यूनिट तक का शुल्क स्वीकार किया था, यानी प्रतिवादी संख्या 1-एमबी पावर की तुलना में बहुत अधिक शुल्क। यह प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान मामले में और साथ ही यूपीपीसीएल के मामले में बोली अवधि एक ही है। यह प्रस्तुत किया गया है कि, हालांकि, 2018 में, राजस्थान बीईसी ने शरारती और चुनिंदा रूप से केवल 2012 तक के शुल्क पर विचार किया और आंध्र प्रदेश और केरल की बोलियों की तुलना की, जो वास्तव में क्रमशः 2015 और 2014 में खोजी गई थीं। यह प्रस्तुत किया गया है कि इसी प्रकार, तमिलनाडु राज्य में, इसी अवधि के लिए, मेसर्स डेलोइट द्वारा 25 वर्षों के लिए 5.75 रुपये प्रति यूनिट के बराबर स्तरीकृत टैरिफ निर्धारित किया गया था और इसे स्वीकार कर लिया गया था। इसलिए, यह प्रस्तुत किया गया है कि, उपर्युक्त पर विचार करते हुए, प्रतिवादी संख्या 1-एमबी पावर का 25 वर्षों के लिए 5.517 रुपये प्रति यूनिट का स्तरीकृत शुल्क निर्विवाद रूप से 2012-2013 तक बाजार के अनुरूप है।

28. डॉ. सिंघवी ने यह दिखाने के लिए निम्नलिखित चार्ट पर भरोसा किया कि प्रतिवादी संख्या 1-एमबी पावर द्वारा उद्धृत 25 वर्षों के लिए स्तरीकृत शुल्क पूरी तरह से बाजार के अनुरूप है।

"राजस्थान बोली के समय 2012-13 तक बाजार मूल्य			
प्राप्त करने वाला राज्य	पहले वर्ष उद्धृत शुल्क	25 वर्षों के लिए स्तरीकृत शुल्क	पीपीए अवधि
राजस्थान एल 5 (यानी एसकेएस)	3.976	5.300	25 वर्ष
राजस्थान एल 7 (यानी आर 1-	4.137	5.517	25 वर्ष

एमबी पावर बोली)			
यूपी 2013 टैरिफ बीईसी (सलाहकार के रूप में डेलोइट) द्वारा अनुमोदित	4.36	5.849	25 वर्ष
टीएन अनुमोदित टैरिफ	4.117	5.75	15 वर्ष

सितंबर/अक्टूबर 2023 में राजस्थान मध्यम अवधि निविदा में खोजी गई कीमतें			
प्राप्त करने वाला राज्य	पहले वर्ष उद्धृत शुल्क	25 वर्षों के लिए स्तरीकृत शुल्क	पीपीए अवधि
राजस्थान 2023	5.30	7.91	5 वर्ष
राजस्थान (अर्थात् एल 7 आर 1 एमबी पावर 2012 बोली)	4.137	5.517	25 वर्ष"

29. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. सिंघवी ने आरएफपी के खंड 3.5.9 पर भरोसा करते हुए प्रस्तुत किया कि, आरएफपी में विशिष्ट खंड और परामर्शदाता द्वारा इसके विपरीत दी गई राय के बावजूद कोई बातचीत अनुमेय नहीं थी। यह प्रस्तुत किया गया कि अपीलकर्ताओं ने एल-1 से एल-3 बोलीदाताओं के साथ कीमतों पर बातचीत करने की कोशिश की, जिसे इस न्यायालय ने 25 अप्रैल 2018 के आदेश के तहत अंततः रद्द कर दिया है।

30. डॉ. सिंघवी ने कहा कि बीईसी द्वारा जारी 4 जून 2013 के विशिष्ट प्रमाण पत्र के मद्देनजर, जिसमें यह प्रमाणित किया गया था कि अपीलकर्ताओं द्वारा विचाराधीन बोलियों के लिए बोली प्रक्रिया आरएफपी के

प्रावधानों और भारत सरकार द्वारा जारी बोली दिशानिर्देशों के अनुरूप की गई थी, अपीलकर्ताओं के लिए विरोधाभासी रुख अपनाना स्वीकार्य नहीं है।

31. डॉ. सिंघवी ने कहा कि इस न्यायालय ने 25 अप्रैल 2018 के आदेश द्वारा जो निर्देश दिया था, वह एल-4 और एल-5 बोलीदाताओं के संबंध में शुल्क को अपनाना था। 19 नवंबर 2018 के बाद के आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने स्पष्ट किया और विद्युत अधिनियम की धारा 63 के तहत शुल्क तय करने का निर्देश दिया, जिसमें वैधानिक रूप से और इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को ध्यान में रखा गया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि आयोग द्वारा की जा सकने वाली एकमात्र जांच केवल ऊर्जा निगरानी (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा देखी गई दोहरी आवश्यकताओं के संबंध में थी।

32. डॉ. सिंघवी ने कहा कि बोलियों को अस्वीकार करने की शक्ति सभी मूल्य बोलियों के संबंध में है। उन्होंने कहा कि यदि यह पाया जाता है कि बोली प्रक्रिया पारदर्शी नहीं थी और दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया गया था या बोलियां बाजार के अनुरूप नहीं हैं, तो अपीलकर्ता सभी बोलियों को अस्वीकार करने के हकदार होंगे, न कि व्यक्तिगत रूप से और चुनिंदा रूप से कुछ बोलियों को। उन्होंने कहा कि यदि अपीलकर्ताओं द्वारा रखी गई व्याख्या को स्वीकार किया जाता है, तो यह ऊर्जा के खरीददार को किसी भी बोलीदाता की बोली को मनमाने ढंग से अस्वीकार करने की मनमानी शक्ति प्रदान करेगा। यह प्रस्तुत किया गया है कि अपीलकर्ताओं/वितरण कंपनियों ("डिस्कॉम") द्वारा इस तरह के अप्रतिबंधित और अनियंत्रित विवेक का प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

33. डॉ. सिंघवी ने कहा कि जहां तक "उपभोक्ता के हित" के संबंध में पहलू का संबंध है, विद्वान एपीटीईएल ने इसे पूरी तरह से कवर किया है। विद्वान एपीटीईएल ने माना है कि उपभोक्ताओं का हित विदेश में है और अन्य बातों के अलावा, इसमें प्रतिस्पर्धी होने के अलावा दीर्घकालिक आधार पर विश्वसनीय, गुणवत्तापूर्ण और निर्बाध बिजली शामिल है।

34. विद्वान वरिष्ठ वकील ने कहा कि राजस्थान राज्य को जब बोली आमंत्रित की गई थी, तब उसे 1000 मेगावाट बिजली की आवश्यकता थी। उन्होंने कहा कि डिस्कॉम ने यहां तक कि उचित रूप से स्वीकार किया कि उन्हें अभी भी बिजली की जरूरत है और इस तरह, उन्होंने सिविल अपील संख्या 4612/2023 (अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने की अनुमति के लिए) में आई.ए. संख्या 150366/2023 के तहत एक अंतरिम आवेदन दायर किया, जिसमें राज्य आयोग से मध्यम अवधि के लिए बिजली खरीदने की अनुमति मांगी गई। इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि व्यापक सार्वजनिक हित और उपभोक्ता हित में भी, अपीलकर्ताओं को प्रतिवादी संख्या 1-एमबी पावर से बिजली खरीदनी चाहिए। डॉ. सिंघवी ने प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय द्वारा 25 अप्रैल 2018 को पारित आदेशों के मद्देनजर अपीलकर्ता 906 मेगावाट बिजली खरीदने के लिए बाध्य हैं। उन्होंने प्रस्तुत किया कि आरएफपी में बकेट फिलिंग का प्रावधान है। इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि अपीलकर्ताओं को बोलीदाताओं से एल-1 से शुरू करके 906 मेगावाट बिजली की खरीद पूरी होने तक सीढ़ी नीचे जाने की बिजली खरीदनी आवश्यक है। यह प्रस्तुत किया गया है कि चूंकि कई बोलीदाता अब दिवालिया हो चुके हैं, इसलिए केवल 3 बोलीदाता ही मैदान में बचे हैं। एल-1 बोलीदाता 195 मेगावाट बिजली की आपूर्ति कर रहा है और एल-2 311 मेगावाट बिजली की आपूर्ति कर रहा है। यह प्रस्तुत किया गया है कि इस न्यायालय द्वारा 26 सितंबर 2023 को पारित आदेश के अनुसरण यदि न्यायालय एल 5 बोलीदाता को 10 मेगावाट बिजली और मध्यम अवधि के लिए 160 मेगावाट बिजली की आपूर्ति की अनुमति भी देता है, तब भी कुल 766 मेगावाट से अधिक नहीं होगा, फिर भी 140 मेगावाट बिजली का शेष बचा रहेगा।

35. डॉ. सिंघवी ने कहा कि जहां तक देरी और लापरवाही के संबंध में अपीलकर्ताओं के तर्क का सवाल है, वह निराधार है। उन्होंने कहा कि प्रतिवादी संख्या 1 को एल-3, एल-4 और एल-6 बोलीदाताओं द्वारा अपनी प्रस्तावित क्षमता का सम्मान करने में असमर्थता के बारे में पता चलने के बाद ही प्रतिवादी संख्या 1 के दावे को फिर से मान्य करने का अवसर आया। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आरएफपी के खंड 3.5.6 पर भरोसा

करते हुए कहा कि चयन प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक कि "सफल बोलीदाताओं" द्वारा प्रस्तावित मात्रा के योग के माध्यम से अपेक्षित क्षमता प्राप्त नहीं हो जाती या जब अपेक्षित क्षमता का शेष न्यूनतम बोली क्षमता से कम हो जाता है। यह प्रस्तुत किया गया है कि चूंकि अभी भी 140 मेगावाट का अंतर है, इसलिए इस न्यायालय के 25 अप्रैल 2018 के आदेश का अनुपालन करने के लिए, अपीलकर्ता योग्य बोलीदाताओं के साथ पीपीए में प्रवेश करने के लिए बाध्य हैं, जब तक कि 906 मेगावाट की पूरी अपेक्षित क्षमता पूरी नहीं हो जाती।

36. डॉ. सिंघवी ने यह दिखाने के लिए निम्नलिखित चार्ट पर भरोसा किया कि सभी मध्यम और दीर्घकालिक बोलियों में खोजी गई कीमतें प्रतिवादी नंबर 1-एमबी पावर द्वारा उद्धृत स्तरीकृत मूल्य से बहुत अधिक हैं।

"वर्ष 2022 से सभी मध्यम और दीर्घ अवधि बोलियों में खोजी गई कीमतें"			
प्राप्त करने वाला राज्य	पहले वर्ष उद्धृत शुल्क	25 वर्षों के लिए स्तरीकृत शुल्क	पीपीए अवधि
अडानी मुंबई-2022	5.98	8.78	2.1 वर्ष
उत्तराखंड-2023	5.41	7.93	1.5 वर्ष
नोएडा पावर – 2022	5.15	7.46	3 वर्ष
मुंद्रा एसईजेड-2023	5.00	6.69	15 वर्ष
हरियाणा-2022	5.70 से 5.75	8.36	3 वर्ष
जे एंड के - 2023	6.05	8.22	5 वर्ष
हरियाणा-2023	6.05	8.22	5 वर्ष
एनडीएमसी-2023	6.05	8.22	5 वर्ष
मध्य प्रदेश-2023	6.05	8.22	5 वर्ष

हरियाणा 2023	5.79	8.49	5 वर्ष
गुजरात-2023	5.18 से 5.69	6.81	15 वर्ष
उत्तराखंड-2023	7.97	11.72	3.5 वर्ष
नोएडा पावर – 2023	6.30	9.18	3 वर्ष

37. इसलिए, डॉ. सिंघवी ने कहा कि यदि उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों को बनाए रखा जाता है, तो यह उपभोक्ताओं के हित में होगा, जिन्हें मौजूदा दरों से कम कीमत पर बिजली मिलेगी, जो कुछ भी हाल ही में बोली प्रक्रिया में एक स्तरीकृत मूल्य के रूप में उभरा है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि यह विशेष रूप से ऐसा है जब निर्विवाद रूप से अपीलकर्ताओं के अनुसार भी उन्हें बिजली की सख्त जरूरत है। इसलिए डॉ. सिंघवी वर्तमान अपीलों को खारिज करने की प्रार्थना करते हैं।

38. श्री सी. एस. वैद्यनाथन, विद्वान वरिष्ठ वकील ने भी इसी तरह की दलीलें दी और वर्तमान अपीलों को खारिज करने की प्रार्थना की।

विचार

39. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार करने के लिए, विद्युत अधिनियम के कुछ प्रावधानों का संदर्भ लेना आवश्यक होगा, जो इस प्रकार हैं:

"63. बोली प्रक्रिया द्वारा शुल्क का निर्धारण। धारा 62 में निहित किसी भी बात के बावजूद, उपयुक्त आयोग शुल्क को अपनाएगा यदि ऐसा शुल्क केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार बोली की पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से निर्धारित किया गया है।"

XXX XXX XXX

79. केंद्रीय आयोग के कार्य.-(1) केंद्रीय आयोग निम्नलिखित कार्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात्:-

(क)

(ख) खंड 'क' में निर्दिष्ट केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली या उसके नियंत्रण वाली उत्पादन कंपनियों के अलावा अन्य उत्पादन कंपनियों के टैरिफ को विनियमित करने के लिए, यदि ऐसी उत्पादक कंपनियाँ एक से अधिक राज्यों में विद्युत उत्पादन और बिक्री के लिए एक समग्र योजना बनाती हैं या अन्यथा बनाती हैं;

XXX XXX XXX

"86. राज्य आयोग के कार्य.- (1) राज्य आयोग निम्नलिखित कार्य करेगा, अर्थात्: -

(क)

(ख) वितरण लाइसेंसधारियों की विद्युत क्रय और प्राप्ति प्रक्रिया को विनियमित करना, जिसमें वह मूल्य शामिल है जिस पर उत्पादक कंपनियों या लाइसेंसधारियों से या राज्य के भीतर वितरण और आपूर्ति के लिए विद्युत क्रय के समझौतों के माध्यम से अन्य स्रोतों से विद्युत क्रय की जाएगी;"

40. भारत संघ द्वारा दिनांक 19 जनवरी 2005 के संकल्प द्वारा अधिसूचित बोली दिशा-निर्देशों की प्रस्तावना के भाग का संदर्भ लेना भी प्रासंगिक होगा, जो इस प्रकार है:

"ये दिशा-निर्देश अधिनियम की धारा 63 के उपरोक्त प्रावधानों के अंतर्गत तैयार किए गए हैं। इन दिशा-निर्देशों के विशिष्ट उद्देश्य इस प्रकार हैं:

1. वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा विद्युत की प्रतिस्पर्धी खरीद को बढ़ावा देना;
2. खरीद में पारदर्शिता और निष्पक्षता प्रक्रियाओं को सुगम बनाना
3. विभिन्न बोलीदाताओं के लिए सूचना विषमताओं को कम करना;
4. बिजली की खरीद में प्रतिस्पर्धी स्थितियों को सुगम बनाकर उपभोक्ता हितों की रक्षा करना;
5. मानकीकरण को बढ़ाना और अस्पष्टता को कम करना तथा इस प्रकार परियोजनाओं के मूर्त रूप लेने में लगने वाले समय को कम करना;
6. खरीदारों के लिए बिजली की उपलब्धता और टैरिफ पर निश्चितता सुनिश्चित करते हुए आपूर्तिकर्ताओं को आंतरिक संचालन पर लचीलापन प्रदान करना।"

41. आरएफपी के कुछ खंडों का संदर्भ लेना भी प्रासंगिक होगा, जो इस प्रकार हैं:

"2.15 आरएफपी को वापस लेने और किसी भी बोली को अस्वीकार करने का अधिकार।

2.15.1 इस आरएफपी को खरीदार/अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा बिना कोई कारण बताए किसी भी समय वापस लिया जा सकता है या रद्द किया जा सकता है। खरीदार/अधिकृत प्रतिनिधि के पास इसके पूर्ण होने पर इसे वापस लेने या रद्द करने का अधिकार भी विवेकाधिकार के तहत सुरक्षित है, बिना कोई कारण बताए तथा किसी भी खाते में कोई देयता उठाए बिना किसी भी या सभी बोलियों को अस्वीकार किया जा सकता है।"

XXX XXX XXX

"3.5 चरण IV- सफल बोलीदाता(ओं) का चयन

3.5.1 चरण III में अर्हता प्राप्त करने वाली बोलियों का मूल्यांकन केवल इसी चरण में किया जाएगा।

3.5.2 अर्ह बोलीदाताओं की सभी वित्तीय बोलियों के लिए खंड 3.4.8 के अनुसार परिकल्पित स्तरीय शुल्क को निम्नतम से उच्चतम तक क्रमित किया जाएगा।

3.5.3 सबसे कम स्तरीय शुल्क वाले बोलीदाता को ऐसे बोलीदाता द्वारा अपनी वित्तीय बोली में प्रस्तावित बिजली की मात्रा (मेगावाट में) के लिए सफल बोलीदाता घोषित किया जाएगा।

3.5.4 सफल बोलीदाता की चयन प्रक्रिया, जैसा कि खंड 3.5.3 में ऊपर उल्लेख किया गया है, योग्य बोलीदाताओं की शेष सभी वित्तीय बोलियों के लिए तब तक दोहराई जाएगी जब तक कि संपूर्ण अधिग्रहीत क्षमता पूरी नहीं हो जाती या जब तक कि अधिग्रहीत क्षमता का शेष न्यूनतम बोली क्षमता से कम न हो जाए।

3.5.5 खंड 3.5.4 में प्रक्रिया के किसी भी चरण में, यदि अधिग्रहीत क्षमता प्राप्त नहीं हुई है और शेष वित्तीय बोलियों में सबसे कम लेवलाइज्ड टैरिफ वाले बोलीदाता की प्रस्तावित क्षमता शेष अधिग्रहीत क्षमता से अधिक है, तो ऐसे बोलीदाता द्वारा प्रस्तावित किसी भी अंश या अंशों के संयोजन को अधिग्रहीत क्षमता को पूरा करने के लिए चयन के लिए विचार किया जाएगा।

3.5.6 सफल बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तावित मात्रा के योग के माध्यम से अधिग्रहीत क्षमता प्राप्त हो जाने पर या जब अधिग्रहीत क्षमता का शेष न्यूनतम बोली क्षमता से कम हो जाने पर चयन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

बशर्ते कि चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में केवल एक बोलीदाता शेष रह जाए और शेष अधिग्रहीत क्षमता न्यूनतम बोली क्षमता से अधिक हो, तो ऐसे बोलीदाता की वित्तीय बोलियों को उपयुक्त आयोग को भेजा जाएगा और बोलीदाता का चयन तब उपयुक्त आयोग के पूर्ण विवेक पर होगा।

- 3.5.7 खंड 3.5.2 से 3.5.6 के अनुसार सफल बोलीदाताओं के चयन के दौरान किसी भी चरण में, क्रेता/अधिकृत प्रतिनिधि को शेष अधिग्रहीत क्षमता को प्राप्त करने और शेष बोलियों में से सबसे कम लेवलाइज्ड टैरिफ वाले सफल बोलीदाता का चयन करने के लिए खंड 1.3.1 में दर्शाई गई मात्रा के दस प्रतिशत (10%) तक अधिग्रहीत क्षमता को बढ़ाने/घटाने का अधिकार सुरक्षित है। खंड 1.3.1 में मात्रा के दस प्रतिशत (10%) से अधिक अधिग्रहीत क्षमता में कोई भी वृद्धि/कमी केवल उपयुक्त आयोग के अनुमोदन से की जा सकती है।
 - 3.5.8 इस खंड 3.5 के प्रावधानों के अनुसार चुने गए सभी सफल बोलीदाताओं को आशय पत्र जारी किए जाएंगे।
 - 3.5.9 प्रक्रिया मूल्यांकन के दौरान अधिकृत प्रतिनिधि/खरीदार और बोलीदाता(ओं) के बीच उद्धृत टैरिफ पर कोई बातचीत नहीं होगी।
 - 3.5.10 प्रत्येक सफल बोलीदाता को बिना शर्त एलओआई को स्वीकार करना होगा, और सफल बोलीदाता के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर के तहत "बिना शर्त स्वीकार" किए गए एलओआई की एक (1) प्रति पर रिकॉर्ड करना होगा और एलओआई जारी होने के 7 (सात) दिनों के भीतर ऐसी प्रति खरीददार/अधिकृत प्रतिनिधि को वापस करनी होगी।
 - 3.5.11 यदि सफल बोलीदाता, जिसे आशय पत्र जारी किया गया है, खंड 2.2.8 और 2.2.9 में निर्दिष्ट किसी भी शर्त को पूरा नहीं करता है, तो खरीददार/अधिकृत प्रतिनिधि ऐसे सफल बोलीदाता के आशय पत्र को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इसके अलावा, ऐसे मामले में खंड 2.5 (बी) के प्रावधान लागू होंगे।
 - 3.5.12 यदि उद्धृत टैरिफ प्रचलित बाजार मूल्यों के अनुरूप नहीं है, तो क्रेता/अधिकृत प्रतिनिधि को अपने विवेकानुसार सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार है।"
42. बोली दिशा-निर्देशों के खंड 5.15 का संदर्भ लेना भी प्रासंगिक होगा, जो इस प्रकार है:
- "5.15 मूल्यांकन प्रक्रिया के अनुसार सबसे कम स्तरीय शुल्क उद्धृत करने वाले बोलीदाता को अवार्ड के लिए विचार किया जाएगा। मूल्यांकन समिति को सभी मूल्य बोलियों को

अस्वीकार करने का अधिकार होगा यदि उद्धृत दरें प्रचलित बाजार मूल्यों के अनुरूप नहीं हैं।"

[जोर दिया गया]

43. सफल बोलीदाता को आरएफपी में निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

"सफल बोलीदाता" का अर्थ खरीदार/अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा चुने गए बोलीदाता से होगा, जो इस आरएफपी के अनुसार आरएफपी दस्तावेजों की शर्तों के अनुसार स्वयं या परियोजना कंपनी के माध्यम से बिजली की आपूर्ति के लिए लागू है, और जिसे आशय पत्र जारी किया गया है;"

44. उच्च न्यायालय का आक्षेपित निर्णय मूल रूप से एसकेएस पावर के मामले में 3 फरवरी 2020 को विद्वान एपीटीईएल के निर्णय और इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों पर आधारित है, जैसा कि पहले ही ऊपर उल्लेख किया गया है। 1000 मेगावाट की खरीद के लिए बोलियाँ प्राप्त होने के बाद, बीईसी ने एल-1, एल-2 और एल-3 बोलीदाताओं की बोलियाँ स्वीकार करने का निर्णय लिया। हालांकि, चूंकि राज्य सरकार ने खरीद को घटाकर केवल 500 मेगावाट बिजली करने की सिफारिश की थी, इसलिए आरवीपीएन ने आरईआरसी विनियमन 2004 के विनियमन 7 के तहत एल-1 से एल-3 के टैरिफ को अपनाने के लिए आवेदन दायर किया, जिससे उसे 1000 मेगावाट के बजाय केवल 500 मेगावाट बिजली खरीदने की अनुमति मिल गई। उक्त आवेदन को राज्य आयोग ने स्वीकार कर लिया। राज्य आयोग ने भी अपने आदेश दिनांक 22.7.15 के तहत 500 मेगावाट बिजली खरीद के लिए बोली प्रक्रिया के माध्यम से निर्धारित टैरिफ को अपनाया। राज्य आयोग के उक्त आदेश को मेसर्स डी.बी. द्वारा विद्वान एपीटीईएल के समक्ष पावर लिमिटेड [एल-2 बोलीदाता] और मेसर्स लैंको पावर लिमिटेड [एल-3 बोलीदाता] द्वारा क्रमशः अपील संख्या 235/2015 और 191/2015 के माध्यम से चुनौती दी गई थी।

45. विद्वान एपीटीईएल ने उक्त अपीलों में 2 फरवरी 2018 के निर्णय और आदेश के माध्यम से राज्य आयोग के 22 जुलाई, 2015 के आदेश को रद्द कर दिया और निम्नलिखित निर्देश पारित किए:

"आदेश

अतः, अपील संख्या 235/2015 और 191/2015 को स्वीकार किया जाता है और राज्य आयोग के 22.07.2015 के आदेश को रद्द किया जाता है। राज्य आयोग को निर्देश दिया जाता है कि वह हमारे ऊपर की गई टिप्पणियों और अधिनियम की धारा 63 के दायरे के पहलुओं पर इस न्यायाधिकरण द्वारा पहले दिए गए निर्णयों को ध्यान में रखते हुए कानून के अनुसार आज से अधिमानतः 2 महीने के भीतर परिणामी आदेश पारित करे। खर्च के संबंध में कोई आदेश नहीं।"

46. विद्वान एपीटीईएल द्वारा उपरोक्त आदेश पारित करने के बाद, मेसर्स डी.बी. पावर लिमिटेड (एल-2 बोलीदाता) ने राज्य आयोग के समक्ष एक अंतरिम आवेदन विद्वान एपीटीईएल के निर्णय के अनुसार तत्काल परिणामी आदेश पारित करने के लिए प्रार्थना करते हुए दायर किया गया। इसने डिस्कॉम को 1 नवंबर 2013 के पीपीए के अनुसार 410 मेगावाट की सीमा तक उससे बिजली खरीदना शुरू करने का निर्देश देने की भी मांग की।

47. जब 8 मार्च 2018 को राज्य आयोग द्वारा मामले की सुनवाई की गई, तो यह देखा गया कि विद्वान एपीटीईएल के आदेश के खिलाफ अपील इस न्यायालय के समक्ष लंबित थी।

48. इस न्यायालय ने दिनांक 25 अप्रैल 2018 के निर्णय और आदेश के तहत उक्त अपीलों का निपटारा किया और निम्नलिखित निर्देश जारी किए:

"हम एपीटीईएल के पहले के निष्कर्ष से सहमत हैं। हमारा विचार है कि राज्य आयोग द्वारा क्षमता को 1000 मेगावाट से घटाकर 500 मेगावाट करने के निर्देश को सही ढंग से खारिज किया गया था। चूंकि एल-1 से एल-5 का प्रतिनिधित्व इस न्यायालय के समक्ष किया गया था, इसलिए हम निर्देश देते हैं कि वे प्रस्ताव के लिए अनुरोध के पैरा 3.5 के अनुसार, ऊपर उल्लिखित मूल रूप से प्रस्तावित राशि के अनुसार बिजली की आपूर्ति के हकदार होंगे। अब बिजली की आपूर्ति कुल 906 मेगावाट तक कम हो जाएगी। राज्य आयोग अब एल-4 और एल-5 के संबंध में शुल्क अपनाने के लिए

अनुमोदन के मुद्दे पर विचार कर सकता है। सभी आशय पत्र (एलओआई) उपरोक्त के अनुसार संशोधित माने जाएंगे। सभी अपीलों का निपटारा उपरोक्त आदेश के अनुसार किया जाएगा।"

49. इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के परिणामस्वरूप, राज्य आयोग ने अपने दिनांक 29 मई 2018 के आदेश के माध्यम से, आरवीपीएन/डिस्कॉम्स को एल-3, एल-4 और एल-5 बोलीदाताओं के संबंध में एक उचित आवेदन/याचिका दायर करने का निर्देश दिया।

50. तदनुसार, आरवीपीएन ने 27 अगस्त 2018 को राज्य आयोग के समक्ष एक आवेदन दायर किया, जिसमें प्रस्तुत किया गया कि एल-4 और एल-5 बोलीदाताओं का शुल्क बहुत अधिक था और बाजार की कीमतों के अनुरूप नहीं था और इसलिए, प्रतिस्पर्धी बोली दिशानिर्देशों और दस्तावेजों के संदर्भ में इसे अपनाने की मांग नहीं की गई।

51. इस बीच, एसकेएस पावर द्वारा इस न्यायालय के समक्ष एक अवमानना याचिका दायर की गई। इस न्यायालय ने 20 सितम्बर 2018 के आदेश के माध्यम से उक्त अवमानना याचिका में निम्नलिखित निर्देश जारी किए:

"हमारा मानना है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि अब दोनों पक्षों के बीच पीपीए पर हस्ताक्षर किए जाने हैं। हालांकि, राज्य आयोग, हमारे आदेश के अनुसार, एल-5 के संबंध में टैरिफ अपनाने के अनुमोदन के मुद्दे पर विचार कर सकता है, जो हमारे समक्ष पक्ष है, और आज से छह सप्ताह की अवधि के भीतर इस पर निर्णय लेगा।

इसके तुरंत बाद पीपीए पर हस्ताक्षर किए जाने हैं।"

[जोर दिया गया]

52. इसके बाद, एसकेएस पावर ने 5 अक्टूबर 2018 को एक अंतरिम आवेदन दायर किया, जिसमें इस न्यायालय के 25 अप्रैल 2018 और 20 सितंबर 2018 के आदेशों के अनुसार अपने शुल्क को अपनाने की प्रार्थना की गई।

53. एसकेएस पावर द्वारा राज्य आयोग के समक्ष यह तर्क दिया गया कि राज्य आयोग उसके द्वारा उद्धृत शुल्क को अपनाने के लिए बाध्य है। हालांकि, इसके विपरीत, आरवीपीएन और डिस्कॉम द्वारा यह तर्क दिया गया कि चूंकि एसकेएस पावर द्वारा उद्धृत शुल्क बाजार के अनुरूप नहीं था, इसलिए इसे अपनाया नहीं जा सकता। प्रतिवाद के मद्देनजर, राज्य आयोग ने 16 अक्टूबर 2018 के अपने आदेश के माध्यम से आरवीपीएन को संशोधित आवेदन दायर करने या इस मुद्दे पर इस न्यायालय से निर्देश प्राप्त करने का अवसर दिया।

54. तदनुसार, आरवीपीएन ने इस न्यायालय के समक्ष एक विविध आवेदन दायर किया। इस न्यायालय ने दिनांक 19 नवम्बर 2018 के आदेश के तहत निम्नलिखित आदेश पारित किया:

"दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के पश्चात, हम केवल यह स्पष्ट करते हैं कि राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (राज्य आयोग) को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के अन्तर्गत शुल्क का निर्धारण वैधानिक रूप से तथा इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को ध्यान में रखते हुए करना है।

राज्य आयोग को आज से आठ सप्ताह की अवधि के भीतर उपरोक्त कीमतों को अंतिम रूप देने के लिए कहा गया है।

तदनुसार एम.ए. का निपटारा किया जाता है।"

55. एस.के.एस. पावर की ओर से एक समीक्षा आवेदन भी दायर किया गया था। उक्त समीक्षा आवेदन का निपटारा इस न्यायालय द्वारा दिनांक 21 जनवरी 2019 के आदेश के तहत निम्नलिखित निर्देशों के साथ किया गया:

"----- हम पाते हैं कि मानक बोली दिशानिर्देशों के अनुसार पहले पी.पी.ए. पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए, जिसके बाद शुल्क को अपनाने का प्रश्न उठाया जाना चाहिए।

20.09.2018 के आदेश के इस स्पष्टीकरण के साथ, हम समीक्षा और एम.ए. का निपटारा करते हैं।

राज्य आयोग जिसने 16.01.2019 को अपना निर्णय सुरक्षित रखा है, आज से दो सप्ताह की अवधि के भीतर पक्षों की सुनवाई करेगा और आज पारित आदेश को ध्यान में रखते हुए आदेश पारित करेगा।"

56. इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, राज्य आयोग ने पक्षों की प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि एसकेएस पावर द्वारा उद्धृत शुल्क बाजार के अनुरूप नहीं था। राज्य आयोग ने यह भी पाया कि, इतनी ऊंची दर अपनाना उपभोक्ता हितों के विपरीत होगा। इसलिए, राज्य आयोग ने दिनांक 26 फरवरी 2019 के आदेश के अनुसार, एल-4 और एल-5 बोलीदाताओं द्वारा उद्धृत शुल्क को न अपनाने का निर्णय लिया।

57. राज्य आयोग के दिनांक 26 फरवरी 2019 के उक्त आदेश को एसकेएस पावर द्वारा अपील संख्या 224/2019 के माध्यम से विद्वान एपीटीईएल के समक्ष चुनौती दी गई थी। विद्वान एपीटीईएल ने उक्त अपील में निम्नलिखित तीन मुद्दे तैयार किए:

- | | |
|-------------------|---|
| "मुद्दा संख्या 1: | क्या प्रतिवादी आयोग विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार अपीलकर्ता की शुल्क /बोली को अस्वीकार कर सकता है? |
| मुद्दा संख्या 2: | क्या यह दिखाने के लिए पर्याप्त सबूत थे कि अपीलकर्ता की बोली बाजार के अनुरूप थी? |
| मुद्दा संख्या 3: | क्या वर्तमान अपील के तथ्यों में राजस्थान डिस्कॉम द्वारा उपभोक्ता हित का तर्क दिया जाना चाहिए?" |

58. विद्वान एपीटीईएल ने पहले मुद्दे का जवाब देते हुए निष्कर्ष निकाला कि राज्य आयोग ने धारा 63 के अंतर्गत शुल्क को अपनाने समय, केवल इस बात पर विचार करना है कि शुल्क संरचना के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी बोली दिशानिर्देशों का अनुपालन किया गया था या नहीं। विद्वान एपीटीईएल ने यह भी माना कि

राज्य आयोग ऐसे दिशानिर्देशों के बिना अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता। इसने आगे कहा कि राज्य आयोग के पास बोली लगाने वाले के शुल्क को अस्वीकार करने का कोई अधिकार नहीं है।

59. जहां तक दूसरे मुद्दे का संबंध है, विद्वान एपीटीईएल इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि, चूंकि एसकेएस पावर की बोली का पहले ही मूल्यांकन किया जा चुका था, और बोली की पारदर्शिता की पुष्टि करते हुए बीईसी द्वारा बाद के प्रमाण पत्र जारी किए गए थे, इसलिए राज्य आयोग के लिए इस प्रश्न पर विचार करना खुला नहीं था कि एसकेएस पावर द्वारा उद्धृत शुल्क बाजार के अनुरूप था या नहीं। इसने आगे कहा कि, इस न्यायालय द्वारा 25 अप्रैल 2018 के आदेश पारित किए जाने के बाद, राज्य आयोग के लिए बोली का पुनर्मूल्यांकन करना खुला नहीं था।

60. जहां तक उपभोक्ताओं के हितों से संबंधित तीसरे मुद्दे का सवाल है, विद्वान एपीटीईएल ने अभिनिर्धारित किया कि उक्त मुद्दे को उस स्तर पर दोबारा नहीं उठाया जा सकता, जब विद्वान एपीटीईएल ने 2 फरवरी 2018 के आदेश के तहत इस पर विस्तार से विचार कर लिया है और इस न्यायालय द्वारा दिनांक 25 अप्रैल, 2018 को आदेश पारित करने से पहले भी इस पर विचार किया गया।

61. तदनुसार, विद्वान एपीटीईएल द्वारा दिनांक 3 फरवरी 2020 के आदेश के माध्यम से अपील की अनुमति दी गई और राज्य आयोग के दिनांक 26 फरवरी 2019 के आदेश को रद्द कर दिया गया। विद्वान एपीटीईएल ने निर्देश दिया कि एसकेएस पावर की टैरिफ, जैसा कि उसकी बोली में पेश किया गया है, को अपनाया जाएगा। पक्षकारों को दिनांक 4 फरवरी 2019 के पीपीए को पुनर्जीवित करने और लागू करने का निर्देश दिया गया था। विद्वान एपीटीईएल द्वारा पारित 3 फरवरी 2020 के इस आदेश को डिस्कॉम और आरवीपीएन द्वारा क्रमशः सिविल अपील संख्या 1937/2020 और सिविल अपील संख्या 2721/2020 के माध्यम से इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई है।

62. वर्तमान कार्यवाही में प्रतिवादी संख्या 1 ने इस न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आदेशों और विद्वान एपीटीईएल द्वारा पारित 3 फरवरी 2020 के आदेश पर अपना दावा प्रस्तुत किया है।

63. मूल रूप से, प्रतिवादी संख्या 1-एमबी पावर का तर्क यह है कि इस न्यायालय द्वारा आदेश पारित किए जाने के बाद, आरवीपीएन और डिस्कॉम्स बोलीदाताओं से तब तक बिजली/उर्जा खरीदने के लिए बाध्य थे, जब तक कि पूरी 906 मेगावाट बिजली समाप्त नहीं हो जाती। उनका तर्क है कि एक बार यह प्रमाणित हो जाने के बाद कि बोली मूल्यांकन प्रक्रिया का अनुपालन केंद्र सरकार द्वारा जारी बोली दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया है, यह माना जाता है कि प्रक्रिया पारदर्शी थी और राज्य आयोग के लिए बाजार संरेखित शुल्क और उपभोक्ता हित के प्रश्न पर जाना स्वीकार्य नहीं है। उनका तर्क है कि इस प्रश्न पर विचार किए बिना कि शुल्क बाजार संरेखित था या नहीं, खरीदार बोलीदाताओं से उनके द्वारा उद्धृत दरों पर आपूर्ति स्वीकार करने के लिए बाध्य थे। उनका तर्क है कि विद्युत अधिनियम की धारा 63 के तहत शक्ति ने जांच को केवल दो पहलुओं तक सीमित कर दिया है, अर्थात्, (1) क्या भारत संघ द्वारा विद्युत अधिनियम की धारा 63 के तहत तैयार की गई बोली दिशा-निर्देशों का पालन किया गया था; और (2) क्या बोली प्रक्रिया पारदर्शी थी या नहीं।

64. उच्च न्यायालय ने अपने आक्षेपित निर्णय में, विद्वान एपीटीईएल की टिप्पणियों और इस न्यायालय के पिछले आदेशों पर भरोसा करते हुए, इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि, "बाल्टी भरने" के परीक्षण को लागू करते हुए, खरीदार प्रतिवादी नंबर 1-एमबी पावर से उसके द्वारा उद्धृत दरों पर आपूर्ति लेने के लिए बाध्य थे। विद्वान एपीटीईएल के निर्णय के आधार पर, उच्च न्यायालय ने माना कि प्रतिवादी नंबर 1-एमबी पावर को बिजली की आपूर्ति करने का अधिकार था चूंकि खरीददारों द्वारा खरीदी गई बिजली और इस न्यायालय द्वारा निर्धारित 906 मेगावाट की अधिकतम सीमा के बीच 300 मेगावाट का अंतर था। इन आधारों पर, उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ताओं को प्रतिवादी संख्या 1-एमबी पावर से उसके द्वारा उद्धृत दरों पर 200 मेगावाट बिजली की आपूर्ति लेने का निर्देश देते हुए एक परमादेश जारी किया।

65. इसलिए, हम पाते हैं कि, आक्षेपित निर्णय की सत्यता या अन्यथा का निर्णय लेने से पहले, हमारे लिए एसकेएस पावर के मामले में विद्वान एपीटीईएल द्वारा पारित 3 फरवरी 2020 के निर्णय और आदेश की सत्यता की जांच करना आवश्यक होगा।

66. हमने पहले ही विद्युत अधिनियम की धारा 63 को पुनः प्रस्तुत किया है। विद्युत अधिनियम की धारा 63 के प्रावधान एनर्जी वॉचडॉग (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय के समक्ष विचारार्थ आए। उक्त निर्णय के पैराग्राफ 19 और 20 का संदर्भ देना समीचीन होगा, जो इस प्रकार हैं:

"19. धारा 63 का निर्माण, जब इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों के साथ पढ़ा जाता है, तो वर्तमान अपीलों में निर्णय के लिए आता है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि धारा 63 एक गैर-बाधा खंड से शुरू होती है, लेकिन यह केवल धारा 62 को कवर करने वाला एक गैर-बाधा खंड है। दूसरे, धारा 62 के साथ धारा 61 और 64 के विपरीत, उपयुक्त आयोग शुल्क का "निर्धारण" नहीं करता है, बल्कि धारा 63 के तहत पहले से निर्धारित शुल्क को ही "अपनाता" है। तीसरे, ऐसा "अपनाना" तभी होता है जब ऐसा शुल्क बोली की पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से निर्धारित किया गया हो, और चौथे, बोली की यह पारदर्शी प्रक्रिया केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार होनी चाहिए। हमारे सामने जो तर्क दिया गया है वह यह है कि धारा 63 एक स्वतंत्र प्रावधान है और इसे अपनी शर्तों पर ही समझा जाना चाहिए, और इसलिए, पारदर्शी बोली के मामले में बोली के अलावा कुछ भी नहीं देखा जा सकता है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार होना चाहिए। एक बात तुरंत स्पष्ट है, कि उपयुक्त आयोग धारा 63 के तहत केवल डाकघर के रूप में कार्य नहीं करता है। इसे बोली की पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से निर्धारित शुल्क को अपनाना चाहिए, लेकिन यह केवल केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार ही किया जा सकता है। इस धारा के अंतर्गत 19-1-2005 को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, जिन दिशा-निर्देशों में समय-समय पर संशोधन किया गया है। धारा 4, विशेष रूप से शुल्क से संबंधित है और उचित आयोग को निश्चित रूप से यह देखने का अधिकार है कि बोली प्रक्रिया के माध्यम से निर्धारित टैरिफ धारा 4 के अनुरूप है या नहीं।

20. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जहां तक शुल्क का संबंध है, केंद्रीय आयोग की विनियामक शक्तियों का उल्लेख धारा 79(1) में विशेष रूप से किया गया है। यह विनियामक शक्ति एक सामान्य शक्ति है, और यह कहना बहुत कठिन है कि जब आयोग धारा 63 के तहत शुल्क को अपनाता है, तो यह धारा 79(1)(बी) के तहत अपनी सामान्य विनियामक शक्ति से परे कार्य करता है। एक बात के लिए, इस तरह का विनियमन केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के तहत होता है। दूसरी

बात, ऐसी स्थिति में जहां कोई दिशा-निर्देश नहीं हैं या ऐसी स्थिति में जो दिशा-निर्देशों के अंतर्गत नहीं आती है, क्या यह कहा जा सकता है कि शुल्क को "विनियमित" करने की आयोग की शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो गई है? हमारे अनुसार, यह उपर्युक्त वैधानिक प्रावधानों को पढ़ने का सही तरीका नहीं है। वैधानिक व्याख्या का पहला नियम यह है कि कानून को समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए। उस नियम के सहवर्ती के रूप में, यह भी स्पष्ट है कि विभिन्न धाराओं द्वारा उठाए गए सभी असंगत नोटों को सुसंगत बनाया जाना चाहिए। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि गैर-बाधा खंड जानबूझकर धारा 62 तक ही सीमित है, हम धारा 79 को पूरी तरह से हटाने का कोई अच्छा कारण नहीं देखते हैं। धारा 62 को ही हटाने का कारण यह है कि शुल्क का निर्धारण दो तरीकों में से एक से हो सकता है या तो धारा 62 के तहत, जहां आयोग स्वयं अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार शुल्क निर्धारित करता है (धारा 61 में उल्लिखित टैरिफ के निर्धारण के लिए नियम और शर्तें निर्धारित करने के बाद) या धारा 63 के तहत जहां आयोग बोली की पारदर्शी प्रक्रिया द्वारा पहले से निर्धारित शुल्क को अपनाता है। किसी भी मामले में, धारा 79(1)(बी) के तहत आयोग की सामान्य विनियामक शक्ति विनियमन की शक्ति का स्रोत है, जिसमें शुल्क निर्धारित करने या अपनाने की शक्ति शामिल है। वास्तव में, धारा 62 और 63 टैरिफ के "निर्धारण" से संबंधित हैं, जो शुल्क को "विनियमित" करने का हिस्सा है। जबकि बिजली के अंतर-राज्यीय संचरण के लिए शुल्क "निर्धारण" धारा 79(1)(डी) द्वारा निपटा जाता है, धारा 79(1)(बी) शुल्क को "विनियमित" करने की शक्ति का एक व्यापक स्रोत है। यह स्पष्ट है कि ऐसी स्थिति में जहां धारा 63 के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश स्थिति को कवर करते हैं, केंद्रीय आयोग उन दिशा-निर्देशों से बंधा हुआ है और उसे अपने विनियामक कार्यों का प्रयोग, धारा 79(1)(बी) के तहत ही करना चाहिए, केवल उन दिशा-निर्देशों के अनुसार। जैसा कि ऊपर कहा गया है, केवल ऐसी स्थिति में जब कोई दिशा-निर्देश नहीं बनाए गए हों या जहां दिशा-निर्देश किसी दी गई स्थिति से निपटते नहीं हों, तब धारा 79(1)(बी) के तहत आयोग की सामान्य विनियामक शक्तियों का उपयोग किया जा सकता है।"

[जोर दिया गया]

67. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि इस न्यायालय ने माना है कि धारा 62 के विपरीत धारा 61 और 64 के साथ, विद्युत अधिनियम की धारा 63 के प्रावधानों के तहत, उपर्युक्त आयोग शुल्क का "निर्धारण" नहीं करता है, बल्कि धारा 63 के तहत पहले से निर्धारित शुल्क को ही "अपनाता" है। यह भी माना गया है कि, ऐसा "अपनाना" केवल तभी होता है जब ऐसा शुल्क बोली की पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से निर्धारित किया गया हो, और यह कि, बोली की यह पारदर्शी प्रक्रिया केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार होनी

चाहिए। उक्त मामले में इस न्यायालय के समक्ष यह तर्क दिया गया कि धारा 63 एक स्वतंत्र प्रावधान है और इसे अपनी शर्तों पर ही समझा जाना चाहिए, और इसलिए, पारदर्शी बोली के मामले में बोली के अलावा कुछ भी नहीं देखा जा सकता है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप होना चाहिए। हालाँकि, उक्त तर्क को खारिज करते हुए, इस न्यायालय ने कहा कि उपयुक्त आयोग धारा 63 के तहत महज डाकघर के रूप में कार्य नहीं करता है। यह देखा गया है कि, खंड 4, विशेष रूप से, शुल्क से संबंधित है और उपयुक्त आयोग के पास निश्चित रूप से यह देखने का अधिकार क्षेत्र है कि बोली की प्रक्रिया के माध्यम से निर्धारित टैरिफ खंड 4 के अनुरूप है या नहीं।

68. इस न्यायालय ने उक्त मामले में, पैराग्राफ 20 में, आगे कहा कि पूरे अधिनियम को समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए। यह माना गया है कि, विभिन्न धाराओं द्वारा निकाले गए सभी असंगत नोटों को सुसंगत होना चाहिए। यह माना गया है कि, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि गैर-बाधा खंड जानबूझकर धारा 62 तक ही सीमित है, धारा 79 को पूरी तरह से समाप्त करने का कोई कारण नहीं है। यह माना गया है कि, धारा 62 के तहत या धारा 63 के तहत, धारा 79(1)(बी) के तहत आयोग की सामान्य विनियामक शक्ति विनियमन करने की शक्ति का स्रोत है, जिसमें शुल्क निर्धारित करने या अपनाने की शक्ति शामिल है। यह माना गया है कि, धारा 62 और 63 शुल्क के "निर्धारण" से संबंधित हैं, जो शुल्क को "विनियमित" करने का हिस्सा है। यह आगे माना गया है कि, ऐसी स्थिति में जहां धारा 63 के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश स्थिति को कवर करते हैं, केंद्रीय आयोग उन दिशा-निर्देशों से बंधा हुआ है और उसे धारा 79(1)(बी) के तहत अपने विनियामक कार्यों का प्रयोग करना चाहिए, केवल उन दिशा-निर्देशों के अनुसार। यह आगे माना गया है कि, यह केवल ऐसी स्थिति में है जहां कोई दिशा-निर्देश तैयार नहीं किए गए हैं या जहां दिशानिर्देश किसी दी गई स्थिति से निपटते नहीं हैं, धारा 79(1)(बी) के तहत आयोग की सामान्य विनियामक शक्तियों का उपयोग किया जा सकता है।

69. एनर्जी वॉचडॉग (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के उपरोक्त दृष्टिकोण, जो कि दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिया गया निर्णय है, को टाटा पावर कंपनी लिमिटेड ट्रांसमिशन (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा अनुमोदित किया गया है।

70. हम पहले ही विद्युत अधिनियम की धारा 86(1)(बी) का उल्लेख कर चुके हैं, जो विद्युत अधिनियम की धारा 79 के समान है। धारा 79 केंद्रीय आयोग के कार्यों को निर्धारित करती है, जबकि धारा 86 राज्य आयोग के कार्यों के लिए प्रावधान करती है। विद्युत अधिनियम की धारा 86 राज्य आयोग को वितरण लाइसेंसधारियों की बिजली खरीद और खरीद प्रक्रिया को विनियमित करने का अधिकार देती है, जिसमें वह मूल्य भी शामिल है जिस पर उत्पादन कंपनियों या लाइसेंसधारियों से या राज्य के भीतर वितरण और आपूर्ति के लिए बिजली की खरीद के लिए समझौतों के माध्यम से अन्य स्रोतों से बिजली खरीदी जाएगी।

71. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि विद्युत अधिनियम की धारा 86(1)(बी) राज्य आयोग को वितरण लाइसेंसधारियों की बिजली खरीद और खरीद प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए पर्याप्त शक्ति देती है। यह राज्य आयोग को बिजली उत्पादन कंपनियों से बिजली की खरीद की कीमत आदि सहित अन्य मामलों को विनियमित करने का अधिकार भी देता है।

72. केंद्र सरकार द्वारा 19 जनवरी 2005 के संकल्प के तहत अधिसूचित बोली दिशानिर्देशों का संदर्भ लेना भी प्रासंगिक होगा। बोली दिशानिर्देशों की प्रस्तावना विशेष रूप से कहती है कि, उक्त बोली दिशानिर्देशों का एक उद्देश्य बिजली की खरीद में प्रतिस्पर्धात्मक स्थितियों को सुविधाजनक बनाकर खरीद प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता तथा उपभोक्ता हितों की सुरक्षा को सुगम बनाना है।

73. बोली दिशा-निर्देशों का खंड 5.15 एक महत्वपूर्ण खंड है। यह प्रावधान करता है कि, मूल्यांकन प्रक्रिया के अनुसार सबसे कम स्तरीय शुल्क उद्धृत करने वाले बोलीदाता को पुरस्कार के लिए विचार किया

जाएगा। यह भी प्रावधान करता है कि मूल्यांकन समिति को सभी मूल्य बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार होगा यदि उद्धृत दरें प्रचलित बाजार मूल्यों के अनुरूप नहीं हैं।

74. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि मूल्यांकन समिति को इस बात पर विचार करने का अधिकार है कि उद्धृत दरें बाजार मूल्य के अनुरूप हैं या नहीं, और मूल्यांकन समिति को सभी मूल्य बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार होगा यदि वह पाती है कि उद्धृत दरें प्रचलित बाजार मूल्य के अनुरूप नहीं हैं। विद्वान एपीटीईएल ने जिन आदेशों पर भरोसा किया है, विशेष रूप से इस न्यायालय के 19 नवंबर 2018 के आदेश में स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया गया था कि राज्य आयोग को विद्युत अधिनियम की धारा 63 के तहत टैरिफ का निर्धारण वैधानिक रूप से और इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को ध्यान में रखते हुए करना था।

75. इस पृष्ठभूमि में, राज्य आयोग द्वारा बोली दिशा-निर्देशों के खंड 5.15 पर विचार करना उचित था, जो विशेष रूप से सभी मूल्य बोलियों को अस्वीकार करने की अनुमति देता है, यदि उद्धृत दरें प्रचलित बाजार मूल्यों के अनुरूप नहीं हैं।

76. यह तर्क कि इस न्यायालय ने आदेश दिया है कि बोलीदाताओं द्वारा उद्धृत बोलियों को बाजार के अनुरूप होने या न होने के प्रश्न पर विचार किए बिना स्वीकार किया जाना चाहिए, हमारे विचार में, निराधार है।

77. यदि प्रतिवादी संख्या 1-एमबी पावर का यह तर्क कि खरीदार प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया में उभरी सभी बोलियों को स्वीकार करने के लिए बाध्य है, जब बोली प्रक्रिया पारदर्शी और बोली दिशा-निर्देशों के अनुपालन में पाई जाती है, तो हमारे विचार में, यह बोली दिशा-निर्देशों के खंड 5.15 का पूर्ण उल्लंघन होगा। यदि उस दृष्टिकोण को स्वीकार किया जाता है, तो डिस्कॉम को अन्य आपूर्तिकर्ताओं की तुलना में बहुत अधिक दर पर बिजली खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उक्त उच्च दर उपभोक्ताओं को दी जाएगी। इस प्रकार, प्रतिवादी संख्या 1 के तर्क को स्वीकार करने से उपभोक्ताओं के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और

बदले में, यह व्यापक सार्वजनिक हित के विरुद्ध होगा। उदाहरण के लिए, 1000 मेगावाट बिजली के लिए बोली प्रक्रिया में, 10 व्यक्ति "योग्य बोलीदाता" के रूप में उभरे। एल-1 बोलीदाता ने 100 मेगावाट बिजली के लिए 2 रुपए प्रति यूनिट और एल-2 बोलीदाता ने अन्य 100 मेगावाट बिजली के लिए 2.25 रुपए प्रति यूनिट की दर से बोली लगाई और एल-3 बोलीदाता से आगे, वे शेष 800 मेगावाट बिजली के लिए 10 रुपए प्रति यूनिट और उससे अधिक की दर से बोली लगाने लगे, क्या खरीदार को शेष 800 मेगावाट बिजली 10 रुपए प्रति यूनिट और उससे अधिक की दर से खरीदने के लिए बाध्य करके जनहित को पूरा किया जा सकता है, जब उद्धृत कीमतें पूरी तरह से बाजार कीमतों के अनुरूप नहीं हैं।

78. इसलिए, हमारा विचार है कि विद्वान एपीटीईएल ने यह मान कर बहुत बड़ी गलती की है कि राज्य आयोग को इस प्रश्न पर विचार करने का कोई अधिकार नहीं है कि उद्धृत कीमतें बाजार कीमतों के अनुरूप हैं या नहीं और उपभोक्ताओं के हितों के पहलू पर भी विचार नहीं करना चाहिए।

79. जब बोली दिशानिर्देश स्वयं बीईसी को सभी मूल्य बोलियों को अस्वीकार करने की अनुमति देते हैं, यदि उद्धृत दरें प्रचलित बाजार मूल्यों के अनुरूप नहीं हैं, तो राज्य आयोग के लिए इस प्रश्न पर विचार करने की स्थिति में न होने का कोई सवाल ही नहीं है कि उद्धृत दरें बाजार के अनुरूप हैं या नहीं, विशेष रूप से, विद्युत अधिनियम की धारा 86(1)(बी) के तहत राज्य आयोग के पास निहित पर्याप्त शक्तियों के प्रकाश में, जिसमें बिजली उत्पादक कंपनियों से बिजली की खरीद की जाने वाली कीमतों को विनियमित करना आदि की शक्ति भी शामिल है। इसलिए, हमारे विचार में, विद्वान एपीटीईएल का निष्कर्ष पूरी तरह से गलत है।

80. एसकेएस पावर के मामले में, बीईसी, जिसमें निम्नलिखित 6 सदस्य शामिल हैं, ने एल-4 और एल-5 बोलीदाताओं द्वारा उद्धृत स्तरीकृत शुल्क पर विचार किया है:

- (i) श्री आर.के. जैन, मुख्य अभियंता (एनपीपी और आरए), आरवीपीएन, जयपुर;
- (ii) श्री मनीष सक्सेना, मुख्य लेखा नियंत्रक, आरवीपीएन, जयपुर;

- (iii) श्री एम.एम. रणवा, मुख्य अभियंता, आरयूवीएनएल, जयपुर;
- (iv) श्री के.एल. मीना, अतिरिक्त मुख्य अभियंता (ईंधन), आरवीयूएन, जयपुर;
- (v) श्री एस.के. माथुर, मुख्य अभियंता (मुख्यालय), जेवीवीएनएल, जयपुर; और
- (vi) श्री तरुण अग्रवाल, सीए, पार्टनर मेसर्स श्यामलाल अग्रवाल एंड कंपनी, जयपुर

81. यह देखा जा सकता है कि उक्त समिति में मुख्य अभियंता/अतिरिक्त मुख्य अभियंता पद के 4 तकनीकी सदस्य शामिल थे। इसमें मुख्य लेखा नियंत्रक, आरवीपीएन, जयपुर शामिल थे। इसमें एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी शामिल था, जो वित्तीय मामलों का विशेषज्ञ है। उचित विचार-विमर्श के बाद, विशेषज्ञों से युक्त बीईसी ने पाया कि 1-4 और एल 5 बोलीदाताओं द्वारा उद्धृत कीमतें अत्यधिक अधिक थीं और इसके परिणामस्वरूप एल-1 बोलीदाता के शुल्क की तुलना में राज्य के उपभोक्ताओं पर 1715 करोड़ रुपये से अधिक का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा।

82. राज्य आयोग बीईसी के विस्तृत विश्लेषण पर विचार करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि एसकेएस पावर (एल-5 बोलीदाता) द्वारा पेश की गई कीमतें बाजार के अनुरूप नहीं थीं, और इसलिए, उपभोक्ताओं के हित में नहीं थीं। इसलिए, हम पाते हैं कि विद्वान एपीटीईएल ने राज्य आयोग द्वारा पारित सुविचारित आदेश को उलटने में घोर गलती की है, जो बदले में, बोली दिशानिर्देशों के खंड 5.15 के अनुसार बीईसी के निर्णय पर आधारित था।

83. हम आगे पाते हैं कि इस न्यायालय के आदेशों से यह नहीं पढ़ा जा सकता है कि राज्य आयोग बोलीदाताओं द्वारा उद्धृत बोलियों को बाल्टी भर जाने तक स्वीकार करने के लिए बाध्य था। सबसे पहले, इस न्यायालय द्वारा विद्युत अधिनियम की धारा 63 और 86(1)(बी) के प्रावधानों और बोली दिशानिर्देशों से बाहर ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया जा सकता है। किसी भी स्थिति में, 19 नवंबर 2018 के आदेश के अनुसार, इस न्यायालय ने राज्य आयोग को विशेष रूप से निर्देश दिया था कि वह विद्युत अधिनियम की धारा 63 के तहत शुल्क तय करे, जिसमें वैधानिक रूप से और इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को ध्यान में रखा

जाए। इस प्रकार, राज्य आयोग बोली दिशानिर्देशों और विशेष रूप से इसके खंड 5.15 को ध्यान में रखने के लिए बाध्य था।

84. इस तर्क के संबंध में कि बोली दिशानिर्देशों के खंड 5.15 के तहत शक्ति का प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है जब बोली प्रक्रिया बोली दिशानिर्देशों के अनुपालन में नहीं पाई जाती है और सभी बोलीदाताओं के संबंध में पारदर्शी नहीं है और कुछ बोलीदाताओं के संबंध में नहीं है, हमारे विचार में, यह बिना किसी आधार के है।

85. इस संबंध में हम सामान्य खंड अधिनियम की धारा 13(2) का संदर्भ ले सकते हैं, जो इस प्रकार है:

"13. लिंग और संख्या - सभी केंद्रीय अधिनियमों और विनियमों में, जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो,-

(1); और

(2) एकवचन शब्दों में बहुवचन शामिल होगा, और इसके विपरीत।"

86. इसके अतिरिक्त, विवेक नारायण शर्मा एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य¹⁰ के मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ को इस प्रश्न पर विचार करने का अवसर मिला था कि क्या "कोई" शब्द में "सभी" शामिल होंगे और इसके विपरीत। इस न्यायालय की संविधान पीठ ने इस प्रकार टिप्पणी की:

"113. याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा दृढ़तापूर्वक आग्रह किया गया है कि आरबीआई अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (2) में प्रयुक्त शब्द "कोई" को "कुछ" के अर्थ में सीमित अर्थ दिया जाना चाहिए। यह प्रस्तुत किया गया है कि यदि आरबीआई अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (2) को इस प्रकार नहीं पढ़ा जाता है, तो उक्त उपधारा के अंतर्गत उपलब्ध शक्ति को अत्यधिक प्रत्यायोजन के आधार पर अमान्य माना जाएगा। यह प्रस्तुत किया गया है कि यह नहीं माना जा सकता है कि विधायिका का इरादा केंद्र सरकार को संपूर्ण मुद्रा का विमुद्रीकरण करने के लिए अनियंत्रित, दिशाहीन और मनमानी शक्ति प्रदान करना था। इसलिए, याचिकाकर्ताओं का यह कहना है कि उक्त धारा को अमान्य घोषित होने से बचाने के लिए, शब्द "कोई" को "कुछ" के अर्थ में सीमित तरीके से व्याख्या किए जाने की आवश्यकता है।

114. इसके विपरीत, प्रतिवादियों की ओर से यह प्रस्तुत किया गया है कि धारा 26 की उपधारा (2) के अंतर्गत शब्द "कोई" आरबीआई अधिनियम की धारा 26 की संकीर्ण तरीके से व्याख्या नहीं की जा सकती और इसे "सभी" को शामिल करने के लिए समझना होगा।

"कोई भी" शब्द की व्याख्या करने वाले पूर्वन्याय -

115. मुख्य खान निरीक्षक बनाम लाला करम चंद थापर [मुख्य खान निरीक्षक बनाम लाला करम चंद थापर, (1962) 1 एससीआर 9: एआईआर 1961 एससी 838] में इस न्यायालय की संविधान पीठ इस प्रश्न पर विचार कर रही थी कि क्या खान अधिनियम, 1952 की धारा 76 में वर्णित "निदेशकों में से कोई एक" वाक्यांश का अर्थ "केवल निदेशकों में से एक" हो सकता है या इसका अर्थ "निदेशकों में से प्रत्येक" हो सकता है। उक्त मामले में कंपनी के सभी निदेशकों पर खान अधिनियम, 1952 की धारा 73 और 74 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए मुकदमा चलाया गया था। उच्च न्यायालय ने माना था [लाला करम चंद थापर बनाम बिहार राज्य, 1958 एससीसी ऑनलाइन पैट 30] कि कंपनी के निदेशकों में से किसी एक पर ही मुकदमा चलाया जा सकता है।

116. इस न्यायालय की संविधान पीठ ने इस प्रकार टिप्पणी की: (लाला करम चंद थापर मामला [मुख्य खान निरीक्षक बनाम लाला करम चंद थापर, (1962) 1 एससीआर 9: एआईआर 1961 एससी 838], एआईआर पृष्ठ 847-48, पैरा 29-34)

"29. यह बिल्कुल स्पष्ट है और वास्तव में विवादित नहीं है कि कुछ संदर्भों में, "कोई भी" का अर्थ "केवल एक" है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन है" इसलिए वाक्यांश "निदेशकों में से कोई भी" का अर्थ "केवल निदेशकों में से एक" है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन है" हो सकता है। क्या वाक्यांश का कोई अन्य अर्थ नहीं हो सकता है? यदि ऐसा नहीं है, तो न्यायालय आगे नहीं देख सकते हैं, और इन शब्दों की व्याख्या केवल उसी अर्थ में करनी चाहिये, चाहे विधानमंडल का इरादा कुछ भी क्यों न रहा हो। लेकिन यदि वाक्यांश का कोई और अर्थ हो सकता है, जैसा कि सुझाया गया है, अर्थात् "निदेशकों में से प्रत्येक" तो यह तय करना आवश्यक होगा कि विधानमंडल द्वारा दोनों में से किस अर्थ का अभिप्राय था।

30. यदि कोई आम बातचीत या साहित्य में "कोई भी" शब्दों के प्रयोग की जांच करता है, तो इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि उनका प्रयोग अक्सर "हर एक" के अर्थ में किया जाता है, न कि एक के, बल्कि सभी के लिए। इस प्रकार हम कहते हैं कि कोई भी देख सकता है कि यह गलत है, इसका अर्थ है "हर कोई देख सकता है कि यह गलत है"। "कोई भी प्रवेश कर सकता है" का अर्थ यह नहीं है कि "केवल एक व्यक्ति प्रवेश कर सकता है", बल्कि यह है कि सभी प्रवेश कर सकते हैं। इस संबंध में ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी, पृष्ठ 378 पर जाना अनुमेय और वास्तव में लाभदायक है, जिसमें से हम पाते हैं कि "किसी भी" का अर्थ इस

प्रकार दिया गया है: 'सकारात्मक वाक्यों में, यह किसी नामित प्रकार के प्राणी या वस्तु के बारे में दावा करता है, बिना किसी सीमा के, और इस प्रकार सामूहिक रूप से उनमें से प्रत्येक के बारे में'। दिए गए उदाहरणों में से एक है "मैं किसी को भी मेरे दावों का खंडन करने की चुनौती देता हूँ"। निश्चित रूप से, इसका मतलब यह नहीं है कि केवल एक को चुनौती दी जाती है; बल्कि यह कि सभी को चुनौती दी जाती है। इसलिए यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि "कोई भी" अक्सर "हर एक" के अर्थ में उपयोग नहीं किया जाता है।

31. लेकिन, श्री पाठक तर्क देते हैं कि, यह स्वीकार करते हुए कि ऐसा है, यह माना जाना चाहिए कि जब वाक्यांश 'किसी एक' का प्रयोग 'के' पूर्वसर्ग के साथ किया जाता है, उसके बाद कई व्यक्तियों को दर्शाने वाला शब्द होता है, तो यह कभी भी 'हर किसी' का अर्थ नहीं लेता है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से लिया गया उद्धरण, यह ध्यान देने योग्य है कि, "किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में" एक कथन की बात करता है; यह कहना अनुचित नहीं है कि, "के" शब्द के बाद कई व्यक्तियों या चीजों को दर्शाने वाला शब्द ठीक वैसा ही "एक प्रकार का नामकरण" है जैसा कि वहाँ उल्लेख किया गया है। मान लीजिए, उदाहरण "मैं किसी को भी मेरे कथनों का खंडन करने के लिए चुनौती देता हूँ" को बदलकर "मैं अपने विरोधियों में से किसी एक को मेरे कथन का खंडन करने के लिए चुनौती देता हूँ" कर दिया गया। यहाँ "मेरे विरोधियों में से कोई भी" का अर्थ "मेरे सभी विरोधी" होगा, न कि केवल विरोधियों में से एक।

32. जबकि वाक्यांश "उनमें से कोई एक" या "कोई एक" से मिलकर बना कोई समान वाक्यांश, जिसके बाद "का" आता है, जिसके बाद कई व्यक्तियों या चीजों को दर्शाने वाले शब्द आते हैं, न्यायिक अर्थ में नहीं आते हैं, हमारे न्यायालयों में या इंग्लैंड में वाक्यांश "वर्तमान निदेशकों में से कोई भी" की व्याख्या एक पुराने अंग्रेजी मामले, आइल ऑफ वाइट रेलवे कंपनी बनाम ताहोर्डिन (आइल ऑफ वाइट रेलवे कंपनी बनाम ताहोर्डिन, (1883) एलआर 25 च डी 320 (सीए)) में की जानी थी। कई शेयरधारकों ने निदेशकों से दो उद्देश्यों के लिए कंपनी की बैठक बुलाने की मांग की। उद्देश्यों में से एक का उल्लेख किया गया था कि यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो वर्तमान निदेशकों में से किसी को हटाना और बोर्ड में किसी रिक्त स्थान को भरने के लिए निदेशकों का चुनाव करना। निदेशकों ने दूसरे उद्देश्य के लिए बैठक बुलाने के लिए नोटिस जारी किया और बैठक आयोजित की। फिर शेयरधारकों ने कंपनी क्लॉज एक्ट, 1845 के तहत मूल मांग में दोनों उद्देश्यों के लिए बैठक बुलाने का अपना नोटिस जारी किया। निदेशकों द्वारा मांगकर्ताओं को बैठक आयोजित करने से रोकने के लिए की गई कार्रवाई में, अपील न्यायालय ने माना कि "वर्तमान निदेशकों में से किसी को" हटाने का नोटिस वर्तमान समय में निदेशकों को हटाने

के प्रस्ताव को उचित ठहराएगा। लॉर्ड कॉटन, एल.जे. ने बताया कि "कोई भी" में "सभी" शामिल होंगे।

33. यह सच है कि वहां "वर्तमान निदेशकों में से कोई भी" की भाषा थी न कि "वर्तमान निदेशकों में से कोई भी" और यह आग्रह किया जाता है कि बाद वाले वाक्यांश में "एक" शब्द से सारा अंतर आ जाता है। हमें लगता है कि यहां "एक" शब्द पर बहुत अधिक जोर देना गलत होगा। इस संबंध में यह बताया जा सकता है कि वर्ड्स एंड फ्रेजेज के स्थायी संस्करण में एक अमेरिकी मामले फ्रंट एंड हंटिंगडन बिल्डिंग एंड लोन एसोसिएशन बनाम बर्जिंस्की का उल्लेख है। [फ्रंट एंड हंटिंगडन बिल्डिंग एंड लोन एसोसिएशन बनाम बर्जिंस्की, 130 पीए सुपर 297: 196 ए 572 (पेनसिल्वेनिया का सुपीरियर कोर्ट 1938)] जहाँ "उनमें से कोई भी" शब्दों को "उनमें से कोई भी एक" के बराबर माना गया था।

34. मामले पर पूरी तरह से और उत्सुकता से विचार करने के बाद, हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि "निदेशकों में से कोई भी एक" शब्द अस्पष्ट है; कुछ संदर्भों में, इसका अर्थ है "केवल निदेशकों में से एक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौनसा निदेशक", लेकिन अन्य संदर्भों में, इसका अर्थ "निदेशकों में से प्रत्येक" हो सकता है। किसी विशेष वैधानिक वाक्यांश में विधानमंडल द्वारा इन दो में से किस अर्थ का अभिप्राय था, इसका निर्णय न्यायालयों द्वारा उस संदर्भ पर विचार करके किया जाना चाहिए जिसमें शब्द प्रकट होते हैं, और विशेष रूप से, कानून की योजना और उद्देश्य।"

(जोर दिया गया)

117. संविधान पीठ ने लाला करम चंद थापर मामले में [मुख्य खान निरीक्षक बनाम लाला करम चंद थापर, (1962) 1 एससीआर 9 : एआईआर 1961 एससी 838] पाया कि "कोई भी" शब्द का अर्थ आमतौर पर "हर एक" होता है, यानी एक नहीं, बल्कि सभी। इसने पाया कि सकारात्मक वाक्यों में "कोई भी" शब्द, बिना किसी सीमा के, नामित प्रकार के प्राणी या वस्तु के बारे में दावा करता है। इसने माना कि यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि "कोई भी" शब्द का अर्थ "हर एक" होता है।

118. यह देखा जा सकता है कि लाला करम चंद थापर मामले में संविधान पीठ [मुख्य खान निरीक्षक बनाम लाला करम चंद थापर, (1962) 1 एससीआर 9: एआईआर 1961 एससी 838], मामले पर गहन विचार करने के बाद, इस निष्कर्ष पर पहुँची कि "निदेशकों में से कोई एक" शब्द अस्पष्ट है। इसने माना कि कुछ संदर्भों में, इसका अर्थ "केवल निदेशकों में से एक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा है", लेकिन अन्य संदर्भों में, इसका अर्थ "निदेशकों में से प्रत्येक" हो सकता है। इसने माना कि किसी विशेष वैधानिक वाक्यांश में

विधानमंडल द्वारा इन दो में से किस अर्थ का इरादा किया गया था, इसका निर्णय न्यायालयों द्वारा उस संदर्भ पर विचार करने के बाद किया जाना चाहिए जिसमें वे शब्द प्रकट होते हैं, और विशेष रूप से, कानून की योजना और उद्देश्य पर।

119. खान अधिनियम, 1952 की योजना की जांच करने के बाद, इस न्यायालय की संविधान पीठ ने आगे इस प्रकार टिप्पणी की: (लाला करम चंद थापर मामला [मुख्य खान निरीक्षक बनाम लाला करम चंद थापर, (1962) 1 एससीआर 9 : एआईआर 1961 एससी 838], एआईआर पृष्ठ 848-49, पैरा 36-38)

"36. लेकिन, श्री पाठक का तर्क है, किसी को "दंड विधान" के लिए व्याख्या के विशेष नियम को नहीं भूलना चाहिए कि यदि भाषा अस्पष्ट है, तो अभियुक्त के पक्ष में व्याख्या को सामान्य रूप से अपनाया जाना चाहिए। यदि आप "किसी एक" की व्याख्या उसके द्वारा सुझाए गए अर्थ में करते हैं, तो उसके द्वारा सुझाया गया विधान शून्य है और इसलिए अभियुक्त बच जाता है। इसलिए, अभियुक्त के पक्ष में दो संभावित निर्माणों में से एक को अपनाया जाना चाहिए। हमारी राय में, इस तर्क में कोई सार नहीं है। अभियुक्त के पक्ष में दंड विधानों की सख्त व्याख्या का नियम सार्वभौमिक रूप से लागू नहीं होता है, और व्याख्या के अन्य सुस्थापित नियमों के साथ विचार किया जाना चाहिए। हम पहले ही देख चुके हैं कि कानून की योजना और उद्देश्य यह सोचना उचित बनाता है कि विधायिका का इरादा कोयला खदानों के स्वामित्व वाली कंपनी के सभी निदेशकों को अभियोजन और दंड के अधीन करना था, और केवल निदेशकों में से एक को नहीं। इन विचारों के सामने, अभियुक्त के पक्ष में दंड विधानों की सख्त व्याख्या के लिए नियम के आवेदन की यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है।

37. उच्च न्यायालय इस तथ्य से बहुत प्रभावित हुआ है कि अन्य विधानों में जहाँ विधानमंडल किसी समूह या व्यक्तियों के वर्ग में से प्रत्येक को उत्तरदायी बनाना चाहता था, उसने इरादे को व्यक्त करते हुए स्पष्ट भाषा का उपयोग किया; और यह कि "किसी एक" वाक्यांश का उपयोग इस देश में किसी अन्य विधान में "हर एक" को व्यक्त करने के लिए नहीं किया गया है। हमारी राय में, इस परिस्थिति को बहुत अधिक महत्व देना अनुचित होगा; और जैसा कि ऊपर वर्णित कारणों से, हम सोचते हैं कि "निदेशकों में से कोई एक" वाक्यांश का अर्थ "निदेशकों में से प्रत्येक" हो सकता है, यह तथ्य कि अन्य विधानों में, समान अर्थ व्यक्त करने के लिए अलग-अलग शब्दों का उपयोग किया गया था, कोई महत्व नहीं रखता है।

38. इन सभी बातों पर विचार करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि धारा 76 में "निदेशकों में से कोई एक" शब्द का प्रयोग "निदेशकों में से प्रत्येक" के अर्थ में किया गया है, तथा उच्च न्यायालय द्वारा दी गई विपरीत व्याख्या सही नहीं है।"

(जोर दिया गया)

120. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि यद्यपि न्यायालय के समक्ष यह तर्क दिया गया कि चूंकि अभियुक्त के पक्ष में दंड विधानों की कठोर व्याख्या का नियम अपनाया जाना है और "कोई भी" शब्द को "एक" शब्द से प्रत्ययित किया गया था, इसे सीमित अर्थ दिया जाना चाहिए; लाला करम चंद थापर मामले में न्यायालय [मुख्य खान निरीक्षक बनाम लाला करम चंद थापर, (1962) 1 एससीआर 9 : एआईआर 1961 एससी 838] इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि खान अधिनियम, 1952 की धारा 76 में प्रयुक्त शब्द "निदेशकों में से कोई भी" का अर्थ "निदेशकों में से प्रत्येक" होगा। यह भी ध्यान देने योग्य है कि उक्त मामले में शब्द "कोई भी" को "एक" शब्द से प्रत्ययित किया गया था, फिर भी न्यायालय ने माना कि शब्द "कोई भी" का अर्थ "सभी" होगा न कि "एक"। यह ध्यान देने योग्य है कि वर्तमान मामले में, विधायिका ने "कोई भी" शब्द के बाद "एक" शब्द का प्रयोग नहीं किया है। यह स्थापित कानून है कि यह समझा जाना चाहिए कि विधायिका द्वारा प्रयुक्त या न प्रयुक्त प्रत्येक शब्द के पीछे एक उद्देश्य है।

121. जिस दिन मुख्य खान निरीक्षक बनाम लाला करम चंद थापर [मुख्य खान निरीक्षक बनाम लाला करम चंद थापर, (1962) 1 एससीआर 9 : एआईआर 1961 एससी 838] में निर्णय सुनाया गया था, उसी संविधान पीठ ने बनवारीलाल अग्रवाल [बनवारीलाल अग्रवाल बनाम बिहार राज्य, (1962) 1 एससीआर 33 : एआईआर 1961 एससी 849] में भी निर्णय सुनाया था, जिसमें संविधान पीठ ने इस प्रकार टिप्पणी की थी: (बनवारीलाल अग्रवाल मामला [बनवारीलाल अग्रवाल बनाम बिहार राज्य, (1962) 1 एससीआर 33 : एआईआर 1961 एससी 849], एआईआर पृष्ठ 850, पैरा 3)

"3. पहला तर्क इस धारणा पर आधारित है कि धारा 76 में शब्द "कोई भी" का अर्थ केवल "निदेशकों में से एक और शेरधारकों में से केवल एक" है। धारा 76 में "किसी एक" शब्द की व्याख्या के संबंध में यह प्रश्न अपराधिक अपील संख्या 98 से 106/1959 (मुख्य खान निरीक्षक मुख्य खान निरीक्षक बनाम लाला करम चंद थापर, (1962) 1 एससीआर 9: एआईआर 1961 एससी 838], आदि) में उठाया गया था और वहां यह निर्णय लिया गया था कि "किसी एक" शब्द की व्याख्या "हर एक"

के रूप में की जानी चाहिए। इस प्रकार धारा 76 के तहत खदान के स्वामित्व वाली निजी कंपनी के शेयरधारकों में से प्रत्येक और खदान के स्वामित्व वाली सार्वजनिक कंपनी के निदेशकों में से प्रत्येक अभियोजन के लिए उत्तरदायी है। इसलिए अनुच्छेद 14 के उल्लंघन का कोई सवाल ही नहीं उठता।"

(जोर दिया गया)

122. तेज किरण जैन [तेज किरण जैन बनाम एन. संजीव रेड्डी, (1970) 2 एससीसी 272] में इस न्यायालय की एक अन्य संविधान पीठ भारत के संविधान के अनुच्छेद 105 के प्रावधानों और, विशेष रूप से, संसद सदस्य को "संसद में कही गई किसी भी बात के संबंध में" उपलब्ध प्रतिरक्षा पर विचार कर रही थी। संविधान पीठ ने इस प्रकार टिप्पणी की: (एससीसी पृष्ठ 274, पैरा 8)

"8. हमारे निर्णय में अनुच्छेद के प्रावधानों को सुझाए गए तरीके से पढ़ना संभव नहीं है। अनुच्छेद का अर्थ वही है जो वह भाषा में कहता है जो इससे अधिक स्पष्ट नहीं हो सकती। अनुच्छेद अन्य बातों के साथ-साथ "संसद में कही गई किसी भी बात" के संबंध में प्रतिरक्षा प्रदान करता है। शब्द "कुछ भी" सबसे व्यापक अर्थ का है और "सब कुछ" के समान है। एकमात्र सीमा "संसद में" शब्द से उत्पन्न होती है, जिसका अर्थ है संसद की बैठक के दौरान और संसद के कामकाज के दौरान। हम केवल लोकसभा में दिए गए भाषणों से संबंधित हैं। एक बार यह साबित हो जाने के बाद कि संसद बैठी हुई है और उसका कामकाज चल रहा है, उस कामकाज के दौरान कही गई कोई भी बात किसी भी न्यायालय में कार्यवाही से मुक्त हो जाती है, यह छूट न केवल पूर्ण है बल्कि वैसी ही है जैसी होनी चाहिए। संसदीय शासन प्रणाली का सार यह है कि जनप्रतिनिधियों को कानूनी परिणामों के डर के बिना खुद को व्यक्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। वे जो कहते हैं वह केवल संसद के नियमों के अनुशासन, सदस्यों की अच्छी समझ और अध्यक्ष द्वारा कार्यवाही के नियंत्रण के अधीन है। न्यायालयों का इस मामले में कोई कहना नहीं है और वास्तव में ऐसा होना भी नहीं चाहिए।"

(जोर दिया गया)

123. इस न्यायालय ने तेज किरण जैन मामले [तेज किरण जैन बनाम एन. संजीव रेड्डी, (1970) 2 एससीसी 272] में माना कि "कुछ भी" शब्द का व्यापक अर्थ है और यह "सब कुछ" के बराबर है। एकमात्र सीमा "संसद में" शब्दों से उत्पन्न होती है जिसका अर्थ है

संसद की बैठक के दौरान और संसद के कामकाज के दौरान। इसने माना कि, एक बार यह साबित हो जाने के बाद कि संसद बैठी हुई है और उसका कामकाज चल रहा था, उस कामकाज के दौरान कही गई कोई भी बात किसी भी न्यायालय में कार्यवाही से मुक्त था।

124. यह न्यायालय, एलडीए [एलडीए बनाम एम.के. गुप्ता, (1994) 1 एससीसी 243] में, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 2(1) के खंड (0) पर विचार कर रहा था, जो "सेवा" को परिभाषित करता है, जिसमें "कोई भी" शब्द फिर से विचार के लिए आया था। इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की: (एससीसी पृष्ठ 255, पैरा 4)

"4.... शब्द "कोई भी" और "संभावित" महत्वपूर्ण हैं। दोनों ही व्यापक आयाम के हैं। शब्द "कोई भी" का शब्दकोशीय अर्थ "एक या कुछ या सभी" है। ब्लैक के कानून शब्दकोश में इसे इस प्रकार समझाया गया है, 'शब्द "कोई भी" के अर्थ में विविधता है और इसका उपयोग "सभी" या "हर" के साथ-साथ "कुछ" या "एक" को इंगित करने के लिए किया जा सकता है और किसी दिए गए कानून में इसका अर्थ संदर्भ और कानून की विषय-वस्तु पर निर्भर करता है।' खंड (ओ) में जिस संदर्भ में "कोई भी" शब्द का उपयोग किया गया है, उससे संकेत मिलता है कि इसका उपयोग एक से लेकर सभी तक के व्यापक अर्थ में किया गया है।"

125. इस न्यायालय ने एलडीए मामले [एलडीए बनाम एम.के. गुप्ता, (1994) 1 एससीसी 243] में माना कि शब्द "कोई भी" व्यापक आयाम का है। इसका अर्थ "एक या कुछ या सभी" है। ब्लैक के कानून शब्दकोश का हवाला देते हुए, न्यायालय ने कहा कि "कोई भी" शब्द के अर्थ में विविधता है और इसका उपयोग "सभी" या "हर" के साथ-साथ "कुछ" या "एक" को इंगित करने के लिए भी किया जा सकता है। हालाँकि, इसका जो अर्थ दिया जाना है वह संदर्भ और कानून की विषय-वस्तु पर निर्भर करेगा।

126. के.पी. मोहम्मद सलीम [के.पी. मोहम्मद सलीम बनाम सीआईटी, (2008) 11 एससीसी 573] में, यह न्यायालय महानिदेशक या मुख्य आयुक्त या आयुक्त की किसी मामले को अपने अधीनस्थ एक या अधिक कर निर्धारण अधिकारियों से किसी अन्य कर निर्धारण अधिकारी या कर निर्धारण अधिकारियों को स्थानांतरित करने की शक्ति पर विचार कर रहा था। इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की (एससीसी पृष्ठ 578, पैरा 17)

"17. शब्द "कोई भी" को कानून के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए और उक्त उद्देश्य के लिए, इस प्रकृति की स्थिति में, इसका अर्थ सभी हो सकता है। उक्त उद्देश्य के लिए उद्देश्यपूर्ण निर्माण के सिद्धांतों का सहारा लिया जा

सकता है। (देखें न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम नुस्ली नेविल वाडिया [न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम नुस्ली नेविल वाडिया, (2008) 3 एससीसी 279: (2008) 1 एससीसी (सिविल) 850]). इस प्रकार, एक कानून के संदर्भ में, शब्द "कोई भी" को आयकर अधिनियम के संदर्भ में सभी के रूप में पढ़ा जा सकता है जिसके लिए धारा 127 के तहत निर्दिष्ट अधिकारियों को हस्तांतरण की शक्ति प्रदान की गई है।"

(जोर दिया गया)

127. न्यायालय ने के.पी. मोहम्मद सलीम [के.पी. मोहम्मद सलीम बनाम सीआईटी, (2008) 11 एससीसी 573] ने फिर से दोहराया कि "कोई भी" शब्द को कानून के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए। न्यायालय ने "कोई भी" शब्द के लिए उद्देश्यपूर्ण निर्माण के सिद्धांतों को भी लागू किया, जिसका अर्थ "सभी" है।

128. राज कुमार शिवहरे में [राज कुमार शिवहरे बनाम प्रवर्तन निदेशालय, (2010) 4 एससीसी 772 : (2010) 3 एससीसी (सिविल) 712] में यह तर्क दिया गया कि चूंकि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 की धारा 35 में "किसी निर्णय या आदेश" शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए केवल अंतिम आदेश के विरुद्ध अपील ही दायर की जा सकती है। उक्त तर्क को अस्वीकार करते हुए, इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की: (एससीसी पृ. 779-80, पैरा 19-20 और 26)

"19. इस संदर्भ में "कोई भी" शब्द का अर्थ "सभी" होगा। हम इस तथ्य के मद्देनजर इस मत पर हैं कि यह धारा किसी भी पीड़ित व्यक्ति को अपील का अधिकार प्रदान करती है। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि अपील का अधिकार कानून द्वारा निर्मित है। यह कभी भी एक अंतर्निहित अधिकार नहीं है, जैसे मुकदमा दायर करना। मुकदमा दायर करने का अधिकार, जब तक कि यह कानून द्वारा वर्जित न हो, जैसा कि यहाँ FEMA की धारा 34 के तहत वर्जित है, एक अंतर्निहित अधिकार है (सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 9 देखें) लेकिन अपील का अधिकार हमेशा कानून द्वारा प्रदान किया जाता है। ऐसा अधिकार प्रदान करते समय कानून सीमा या दंड की पूर्व जमा राशि जैसे प्रतिबंध लगा सकता है या यह अपील के क्षेत्र को कानून के प्रश्नों या कभी-कभी कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों तक सीमित कर सकता है। जब भी ऐसी सीमाएँ लगाई जाती हैं, तो उनका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। लेकिन एक कानून में, अपील का अधिकार हमेशा कानून

द्वारा प्रदान किया जाता है। ऐसे मामले में जहां अपील किए जाने वाले आदेश या निर्णय की प्रकृति पर कोई सीमा नहीं है, जैसा कि इस मामले में है, अपील के अधिकार को इस न्यायालय द्वारा व्याख्यात्मक अभ्यास के आधार पर और कम नहीं किया जा सकता है।

20. फेमा की धारा 35 के तहत, विधायिका ने अपीलीय न्यायाधिकरण के "किसी भी" "आदेश" या "निर्णय" से व्यथित व्यक्ति को अपील का अधिकार प्रदान किया है। बेशक ऐसी अपील कानून के प्रश्न पर ही होगी। इस संदर्भ में "कोई भी" शब्द का अर्थ "सभी" होगा।

26. वर्तमान मामले में भी जब न्यायाधिकरण के "किसी" आदेश या निर्णय के विरुद्ध अपील दायर करने का अधिकार किसी पीड़ित व्यक्ति को प्रदान किया जाता है, तो इसके विपरीत वैधानिक इरादे के अभाव में, इसे सीमित अर्थ देने का कोई कारण नहीं है। इसलिए, FEMA की धारा 35 में हमारे निर्णय में, अपीलीय न्यायाधिकरण के किसी भी "आदेश" या "निर्णय" का अर्थ अपीलीय न्यायाधिकरण के सभी निर्णय या आदेश होंगे और ऐसे सभी निर्णय या आदेश, सीमाओं के अधीन, कानून के किसी प्रश्न पर उच्च न्यायालय में अपील योग्य होंगे।"

(जोर दिया गया)

129. यह मानते हुए कि संदर्भ में "कोई भी" शब्द का अर्थ "सभी" होगा, इस न्यायालय ने राज कुमार शिवहरे [राज कुमार शिवहरे बनाम प्रवर्तन निदेशालय, (2010) 4 एससीसी 772 : (2010) 3 एससीसी (सिविल) 712] में कहा कि अपील का अधिकार हमेशा एक कानून द्वारा प्रदान किया जाता है। यह माना गया है कि, ऐसा अधिकार प्रदान करते समय, एक कानून सीमा या दंड की पूर्व जमा राशि जैसे प्रतिबंध लगा सकता है या यह अपील के क्षेत्र को कानून के प्रश्नों या कभी-कभी कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों तक सीमित कर सकता है। यह माना गया है कि जब भी ऐसी सीमाएँ लगाई जाती हैं, तो उनका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। यह माना गया है कि ऐसे मामले में जहां कोई सीमा नहीं है, अपील के अधिकार की कटौती इस न्यायालय द्वारा व्याख्यात्मक अभ्यास के आधार पर नहीं की जा सकती।

130. श्री पी. चिदंबरम, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यूनियन ऑफ इंडिया बनाम ए.बी. शाह [यूनियन ऑफ इंडिया बनाम ए.बी. शाह, (1996) 8 एससीसी 540: 1996 एससीसी (क्रि)

688] में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया। उक्त मामले में, उच्च न्यायालय भारत संघ द्वारा प्रस्तुत एक अपील पर विचार कर रहा था जिसमें उसने विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा अभियुक्तों को बरी किए जाने को चुनौती दी थी, जिसे उच्च न्यायालय द्वारा अपील में पुष्टि की गई थी। विद्वान ट्रायल कोर्ट और उच्च न्यायालय ने माना था कि दायर की गई शिकायत सीमा से परे थी। इस न्यायालय ने विद्वान ट्रायल कोर्ट और उच्च न्यायालय के निर्णयों को उलट दिया।

131. इस न्यायालय ने "किसी भी समय" अभिव्यक्ति की व्याख्या करते हुए इस प्रकार टिप्पणी की: (ए.बी. शाह मामला [यूनियन ऑफ इंडिया बनाम ए.बी. शाह, (1996) 8 एससीसी 540: 1996 एससीसी (क्रि) 688], एससीसी पृष्ठ 546, पैरा 12)

"12. यदि हम अधिनियम के उद्देश्य और प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए शर्तों 3 और 6 पर गौर करें, तो यह माना जाना चाहिए कि ये शर्तें न केवल डिपिलरिंग प्रक्रिया के प्रारंभ में अपेक्षित शर्तों से संबंधित हैं, बल्कि अपेक्षित लंबाई के लिए अनस्टोइंग हमेशा मौजूद होनी चाहिए। शर्त 6 में "किसी भी समय" अभिव्यक्ति का अर्थ, जिस संदर्भ में इसका उपयोग किया गया है, "किसी भी समय" होना चाहिए, जिसका प्रभाव यह है कि अपेक्षित लंबाई को हर समय बनाए रखा जाना चाहिए। अधिनियम के उद्देश्य की पूर्ति, जिनमें से एक खदानों में सुरक्षा है, के लिए इस तरह के दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता है, विशेष रूप से बार-बार होने वाली खदान दुर्घटनाओं की पृष्ठभूमि में, जो खनिकों के जीवन पर बार-बार भारी असर डाल रही हैं। यह बताया जा सकता है कि "कोई भी" शब्द के अर्थ में विविधता है और ब्लैक के लॉ डिक्शनरी में यह कहा गया है कि इस शब्द का प्रयोग "सभी" या "प्रत्येक" को इंगित करने के लिए किया जा सकता है, और इसका अर्थ "कानून के संदर्भ और विषय-वस्तु पर" निर्भर करेगा। स्ट्राउड के न्यायिक शब्दकोश, खंड 1 में जो कहा गया है उसका संदर्भ खुलासा करने वाला है क्योंकि "कोई भी" शब्द का अर्थ चौथे संस्करण के पृष्ठ 145 से 153 तक समझाया गया है, जिसके अवलोकन से पता चलता है कि इसके अलग-अलग अर्थ हैं जो मुख्य रूप से कानून की विषय-वस्तु और इसके उपयोग के संदर्भ पर निर्भर करते हैं गुसा, (1994) 1 एससीसी 243] ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 2(1)(0) में "सेवा" को परिभाषित करते हुए इस शब्द को बहुत व्यापक अर्थ दिया है। (पैरा 4 देखें)"

(जोर दिया गया)

132. श्री चिदंबरम ने सही तर्क दिया कि "कोई भी" शब्द को इसके संदर्भ में, योजना और अधिनियम के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए समझा जाना चाहिए। उक्त प्रस्ताव के संबंध में कोई विवाद नहीं हो सकता है। मुख्य खान निरीक्षक बनाम लाला करम चंद थापर चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस बनाम लाला करम चंद थापर, (1962) 1 एससीआर 9 : एआईआर 1961 एससी 838] में इस न्यायालय की संविधान पीठ के फैसले से ही स्थिति स्पष्ट है। विधानमंडल किसी विशेष वैधानिक प्रावधान को क्या अर्थ देना चाहता है, इसका निर्णय न्यायालय को उस संदर्भ पर विचार करके करना होगा जिसमें वह शब्द प्रकट होता है और विशेष रूप से, कानून की योजना और उद्देश्य।"

87. संविधान पीठ द्वारा विस्तार से संदर्भित विभिन्न निर्णयों के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाएगा कि "सभी" या "कोई भी" शब्दों को अधिनियमन की योजना और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उनके संदर्भ में व्याख्यायित करना होगा। विधानमंडल किसी विशेष वैधानिक प्रावधान को क्या अर्थ देना चाहता है, इसका निर्णय न्यायालय को उस संदर्भ पर विचार करके करना होगा जिसमें वह शब्द प्रकट होता है और विशेष रूप से, कानून की योजना और उद्देश्य। हमें यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि बोली दिशा-निर्देशों के खंड 5.15 में प्रयुक्त "सभी" शब्द को, उस विधायी नीति के साथ पढ़ा जाए जिसके लिए विद्युत अधिनियम अधिनियमित किया गया था और विद्युत अधिनियम की धारा 86(1)(बी) के साथ पढ़ा जाए, तो उसे शामिल करने वाला माना जाएगा। "कोई भी"। इस प्रकार, इस संबंध में विवाद को अस्वीकार किया जाना चाहिए।

88. किसी भी मामले में, शाब्दिक व्याख्या के सिद्धांत को लागू करते हुए, मूल्यांकन समिति/बीईसी केवल ऐसी मूल्य बोलियों को अस्वीकार करने का हकदार होगा यदि उसे लगता है कि बोलीदाताओं द्वारा उद्धृत दरें प्रचलित बाजार मूल्यों के अनुरूप नहीं हैं। यह बोली प्रक्रिया में सभी बोलियों को अस्वीकार करने का प्रावधान नहीं करता है। उदाहरण के लिए, यदि बोली प्रक्रिया में, जो बोली दिशानिर्देशों के अनुसार है और पारदर्शी है, 5 बोलीदाता सामने आए। उक्त बोलीदाताओं में से, केवल 3 बोलीदाताओं द्वारा उद्धृत दरें बाजार संरेखित हैं और शेष 2 बोलीदाताओं द्वारा उद्धृत दरें बाजार संरेखित नहीं हैं। बोली दिशानिर्देशों के अनुसार, बीईसी पहले 3 बोलीदाताओं की बोलियों को स्वीकार करने की सिफारिश करने और शेष 2 बोलीदाताओं की

बोलियों को अस्वीकार करने का हकदार होगा जिनकी उद्धृत दरें/कीमतें बाजार संरेखित नहीं पाई जाती हैं। इसलिए, हम इस संबंध में तर्क को अस्वीकार करते हैं।

89. हम आगे पाते हैं कि न्यायालय को किसी विशेष प्रावधान की व्याख्या करते समय, उद्देश्यपूर्ण निर्माण के सिद्धांतों को लागू करना होगा। इस न्यायालय की संविधान पीठ ने विवेक नारायण शर्मा (उपरोक्त) मामले में इस मुद्दे पर विभिन्न निर्णयों का सर्वेक्षण करने के बाद इस प्रकार निर्णय दिया है:

"148. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि यह एक स्थापित सिद्धांत है कि व्याख्या का आधुनिक दृष्टिकोण व्यावहारिक है, न कि पांडित्यपूर्ण। ऐसी व्याख्या जो अधिनियम के उद्देश्य को आगे बढ़ाती है और जो इसके सुचारू और सामंजस्यपूर्ण कामकाज को सुनिश्चित करती है, उसे चुना जाना चाहिए और दूसरी जो बेतुकी, या भ्रम, या घर्षण, या इसके विभिन्न प्रावधानों के बीच विरोधाभास और संघर्ष की ओर ले जाती है, या अधिनियम की मूल योजना और उद्देश्य को कमजोर करती है, या उसे विफल या नष्ट करने की ओर ले जाती है, उससे बचना चाहिए। किसी कानून की व्याख्या करने में न्यायालय का प्राथमिक और सबसे महत्वपूर्ण कार्य विधायिका की मंशा को इकट्ठा करना है, चाहे वह वास्तविक हो या आरोपित। मंशा का पता लगाने के बाद, न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह कानून की इस तरह से व्याख्या करने का प्रयास करे कि अधिनियम के उद्देश्य और उद्देश्य को बढ़ावा मिले या आगे बढ़ाया जाए। इस उद्देश्य के लिए, जहाँ आवश्यक हो, न्यायालय इस नियम से भी हट सकता है कि स्पष्ट शब्दों की व्याख्या उनके स्पष्ट अर्थ के अनुसार की जानी चाहिए। भाषा की सरलता के प्रति कोई नम्र और मूक समर्पण की आवश्यकता नहीं है। स्पष्ट अन्याय, विसंगति या बेतुकीता से बचने के लिए या अमान्यता से बचने के लिए किसी कानून के निर्माण के उद्देश्य और उद्देश्य को प्रभावी बनाने के लिए, न्यायालय को निर्माण के तथाकथित स्वर्णिम नियम से हटना उचित होगा। विधायी इरादे का पता लगाना वैधानिक निर्माण का मूल नियम है।"

90. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि यह एक स्थापित सिद्धांत है कि व्याख्या का आधुनिक दृष्टिकोण व्यावहारिक है, न कि पांडित्यपूर्ण। ऐसी व्याख्या को चुना जाना चाहिए जो अधिनियम के उद्देश्य को आगे बढ़ाती हो और जो इसके सुचारू और सामंजस्यपूर्ण कामकाज को सुनिश्चित करती हो और दूसरी व्याख्या जो बेतुकी, या भ्रम, या घर्षण, या इसके विभिन्न प्रावधानों के बीच विरोधाभास और संघर्ष की ओर

ले जाती हो, या अधिनियम की मूल योजना और उद्देश्य को कमजोर करती हो, या उसे विफल या नष्ट करने की ओर ले जाती हो, उससे बचना चाहिए।

91. यदि यह तर्क स्वीकार कर लिया जाता है कि बोली दिशानिर्देशों का खंड 5.15 लागू होगा, जो मूल्यांकन समिति को "सभी" मूल्य बोलियों को अस्वीकार करने की अनुमति देता है, न कि उनमें से "किसी एक" को, तो इससे बेतुकी बात के अलावा और कुछ नहीं होगा। मान लीजिए, यदि एल-1 बोलीदाता 3 रुपये प्रति इकाई और एल-5 बोलीदाता 7 रुपये प्रति इकाई की बोली लगाता है, तो एल-1 बोलीदाता की बोली को अस्वीकार करने की आवश्यकता, जिसकी बोली बाजार के अनुरूप पाई जाती है, एल-5 बोलीदाता की बोली के साथ, जो बाजार के अनुरूप नहीं है, एक विषम स्थिति को जन्म देगी। क्या उपभोक्ता को एल-1 से बाजार के अनुरूप कीमत पर खरीदी जाने वाली बिजली से सिर्फ इसलिए वंचित किया जा सकता है क्योंकि कुछ बोलीदाताओं ने बहुत अधिक कीमत लगाई है और वे बाजार के अनुरूप नहीं हैं। हमारे विचार में, इस तरह की व्याख्या से अधिनियम के मुख्य उद्देश्यों में से एक, यानी उपभोक्ता की सुरक्षा, को पराजित किया जाएगा।

92. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस न्यायालय ने जीएमआर वारोरा एनर्जी लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले सहित विभिन्न निर्णयों में बार-बार उपभोक्ताओं के हितों को उत्पादकों के हितों के साथ संतुलित करने की आवश्यकता को मान्यता दी है। उपभोक्ताओं के हितों और सार्वजनिक हितों की अनदेखी करके केवल उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए एकतरफा दृष्टिकोण अपनाना स्वीकार्य नहीं होगा।

93. हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा याचिका पर विचार करना उचित नहीं था। पीटीसी इंडिया लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ ने माना है कि विद्युत अधिनियम, विद्युत से संबंधित सभी मामलों पर एक विस्तृत संहिता है। विद्युत अधिनियम के तहत, विद्युत से संबंधित सभी मुद्दों पर उक्त अधिनियम के तहत गठित प्राधिकरणों द्वारा विचार किया जाना चाहिए। जैसा कि इस

न्यायालय की संविधान पीठ ने माना है, राज्य विद्युत आयोग और विद्वान एपीटीईएल के पास विद्युत से संबंधित मामलों में निर्णय लेने की पर्याप्त शक्तियाँ हैं। इतना ही नहीं, ये न्यायाधिकरण विद्युत के क्षेत्र में व्यापक अनुभव रखने वाले विशेषज्ञों से युक्त न्यायाधिकरण हैं। इस प्रकार, हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय ने रिट याचिका पर सीधे विचार करके गलती की है, जबकि प्रतिवादी संख्या 1, यानी उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाकर्ता के पास राज्य विद्युत आयोग के पास जाने का पर्याप्त वैकल्पिक उपाय था।

94. इस न्यायालय ने रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य¹¹ के मामले में माना है कि न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्ति का प्रयोग करते समय न्यायालय तब हस्तक्षेप कर सकता है जब स्पष्ट रूप से अनुचितता या मनमानी का मामला बनता है।

95. वर्तमान मामले में, इस आशय का कोई आरोप भी नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में, हमारे विचार में, एक क्रानून के तहत प्रभावी वैकल्पिक उपाय की उपलब्धता में भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका का सहारा लेना, जो अपने आप में एक पूर्ण संहिता है, उचित नहीं था।

96. इसमें कोई संदेह नहीं है कि वैकल्पिक उपाय की उपलब्धता उच्च न्यायालयों द्वारा न्यायिक समीक्षा की शक्ति के प्रयोग में पूर्ण प्रतिबंध नहीं है। लेकिन, ऐसे उपाय का सहारा केवल तभी स्वीकार्य होगा जब असाधारण और अपवादात्मक परिस्थितियाँ सामने आती हैं। इस संबंध में राधा कृष्ण इंडस्ट्रीज बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य और अन्य¹² और साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड और अन्य बनाम नवीन मैथ्यू फिलिप और अन्य¹³ के मामलों में इस न्यायालय के निर्णयों का संदर्भ दिया जा सकता है।

97. हम राधा कृष्ण इंडस्ट्रीज (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय की टिप्पणियों का लाभप्रद रूप से उल्लेख कर सकते हैं, जिसमें इस न्यायालय ने पहले के निर्णयों का संदर्भ देने के बाद कुछ सिद्धांत निर्धारित किए हैं:

"24. उच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका की स्थिरता से निपटा है। सीसीटी बनाम ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन कंज्यूमर हेल्थ केयर लिमिटेड [सीसीटी बनाम ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन कंज्यूमर हेल्थ केयर लिमिटेड, (2020) 19 एससीसी 681 : 2020 एससीसी ऑनलाइन एससी 440] में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए, उच्च न्यायालय ने नोट किया कि यद्यपि वह संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका पर विचार कर सकता है, लेकिन उसे ऐसा तब नहीं करना चाहिए जब पीड़ित व्यक्ति के पास कानून में कोई प्रभावी वैकल्पिक उपाय उपलब्ध हो। हालाँकि, इस "वैकल्पिक उपाय के नियम" के कुछ अपवादों में शामिल हैं, जहाँ वैधानिक प्राधिकरण के पास कोई प्रभावी वैकल्पिक उपाय उपलब्ध नहीं है। कानून के प्रावधानों के अनुसार कार्य किया है या न्यायिक प्रक्रिया के मूल सिद्धांतों की अवहेलना की है; या उन प्रावधानों का सहारा लिया है, जिन्हें निरस्त कर दिया गया है; या जहाँ कोई आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के उल्लंघन में पारित किया गया है। इस सूत्रीकरण को लागू करते हुए, उच्च न्यायालय ने नोट किया कि अपीलकर्ता के पास जीएसटी अधिनियम के तहत एक वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है और इस प्रकार, याचिका स्वीकार्य नहीं थी।

25. इस पृष्ठभूमि में, इस न्यायालय के लिए "वैकल्पिक उपाय के नियम" और इसके न्यायिक व्याख्या पर विचार करना आवश्यक हो जाता है। व्हर्लपूल कॉर्पोरेशन बनाम रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड मार्क्स [व्हर्लपूल कॉर्पोरेशन बनाम रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड मार्क्स, (1998) 8 एससीसी 1], इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों वाली पीठ ने इस मुद्दे पर केस लॉ की समीक्षा करने के बाद टिप्पणी की: (एससीसी पृष्ठ 9-10, पैरा 14-15)

"14. संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत विशेषाधिकार रिट जारी करने की शक्ति पूर्ण प्रकृति की है और संविधान के किसी अन्य प्रावधान द्वारा सीमित नहीं है। इस शक्ति का प्रयोग उच्च न्यायालय द्वारा न केवल संविधान के भाग III में निहित किसी भी मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, क्वो वारन्टो और उत्प्रेषण की प्रकृति में रिट जारी करने के लिए किया जा सकता है, बल्कि "किसी अन्य उद्देश्य" के लिए भी किया जा सकता है।

15. संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत, उच्च न्यायालय को मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए रिट याचिका पर विचार करने या न करने का

विवेकाधिकार है। लेकिन उच्च न्यायालय ने खुद पर कुछ प्रतिबंध लगाए हैं जिनमें से एक यह है कि यदि कोई प्रभावी और प्रभावी उपाय उपलब्ध है, उच्च न्यायालय सामान्यतः अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं करेगा। लेकिन वैकल्पिक उपाय को इस न्यायालय द्वारा लगातार कम से कम तीन परिस्थितियों में बाधा के रूप में कार्य नहीं करने के लिए माना गया है, अर्थात्, जहां रिट याचिका किसी भी मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए दायर की गई है या जहां प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन हुआ है या जहां आदेश या कार्यवाही पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र के बिना है या किसी अधिनियम की वैधता को चुनौती दी गई है। इस मुद्दे पर बहुत सारे मामले हैं, लेकिन फॉरेंसिक भंडार के इस चक्र को कम करने के लिए, हम संवैधानिक कानून के विकासवादी युग के कुछ पुराने निर्णयों पर भरोसा करेंगे क्योंकि वे अभी भी इस क्षेत्र में मौजूद हैं।"

(जोर दिया गया)

26. व्हर्लपूल [व्हर्लपूल कॉर्पोरेशन बनाम रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड मार्क्स, (1998) 8 एससीसी 1] में इस न्यायालय के कथन का अनुसरण करते हुए, हरबंसलाल साहनिया बनाम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड [हरबंसलाल साहनिया बनाम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, (2003) 2 एससीसी 107] में, इस न्यायालय ने नोट किया कि: (हरबंसलाल साहनिया मामला [हरबंसलाल साहनिया बनाम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, (2003) 2 एससीसी 107], एससीसी पृष्ठ 110, पैरा 7)

"7. जहां तक उच्च न्यायालय के इस दृष्टिकोण का प्रश्न है कि अपीलकर्ताओं के पास मध्यस्थता खंड का सहारा लेने के माध्यम से उपाय उपलब्ध था और इसलिए अपीलकर्ताओं द्वारा दायर रिट याचिका खारिज किए जाने योग्य थी, यह कहना पर्याप्त है कि वैकल्पिक उपचार की उपलब्धता द्वारा रिट क्षेत्राधिकार के बहिष्कार का नियम विवेक का निगम है और न कि बाध्यता का। किसी उपयुक्त मामले में, वैकल्पिक उपाय की उपलब्धता के बावजूद, उच्च न्यायालय कम से कम तीन परिस्थितियों में अपने रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर सकता है: (i) जहां रिट याचिका किसी भी मौलिक अधिकार के प्रवर्तन की मांग करती है; (ii) जहां प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की विफलता होती है; या (iii) जहां आदेश या कार्यवाही

पूरी तरह से क्षेत्राधिकार के बिना होती है या किसी अधिनियम की शक्तियों को चुनौती दी जाती है। (देखें - व्हर्लपूल कॉर्पोरेशन बनाम रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड मार्क्स [व्हर्लपूल कॉर्पोरेशन बनाम रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड मार्क्स, (1998) 8 एससीसी 1]) वर्तमान मामला पहली दो परिस्थितियों की प्रयोज्यता को आकर्षित करता है। इसके अलावा, जैसा कि उल्लेख किया गया है, अपीलकर्ताओं की डीलरशिप, जो उनकी रोजी-रोटी है, एक अप्रासंगिक और गैर-मौजूद कारण से समाप्त हो गई। ऐसी परिस्थितियों में, हमें लगता है कि अपीलकर्ताओं को मध्यस्थता कार्यवाही शुरू करने की आवश्यकता पर मजबूर करने के बजाय उच्च न्यायालय द्वारा ही राहत दी जानी चाहिए थी।"

(जोर दिया गया)

27. कानून के जो सिद्धांत उभर कर सामने आते हैं, वे हैं:

27.1. संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करने की शक्ति का प्रयोग न केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किया जा सकता है, बल्कि किसी अन्य उद्देश्य के लिए भी किया जा सकता है।

27.2. उच्च न्यायालय को रिट याचिका पर विचार न करने का विवेकाधिकार है। उच्च न्यायालय की शक्ति पर लगाए गए प्रतिबंधों में से एक यह है कि पीड़ित व्यक्ति के लिए एक प्रभावी वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है।

27.3. वैकल्पिक उपाय के नियम के अपवाद तब उत्पन्न होते हैं जब: (क) संविधान के भाग III द्वारा संरक्षित मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए रिट याचिका दायर की गई हो; (ख) प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ हो; (ग) आदेश या कार्यवाही पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र से बाहर हो; या (घ) किसी कानून की शक्तियों को चुनौती दी गई हो।

27.4. वैकल्पिक उपाय अपने आप में किसी उचित मामले में संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय की शक्तियों को छीन नहीं लेता है, हालांकि आम तौर पर, जब कानून द्वारा एक प्रभावी वैकल्पिक उपाय प्रदान किया जाता है, तो रिट याचिका पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।

27.5. जब कोई अधिकार किसी कानून द्वारा बनाया जाता है, जो स्वयं उस अधिकार या दायित्व को लागू करने के लिए उपाय या प्रक्रिया निर्धारित करता है,

तो संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत विवेकाधीन उपाय लागू करने से पहले उस विशेष वैधानिक उपाय का सहारा लिया जाना चाहिए। वैधानिक उपायों की समाप्ति का यह नियम नीति, सुविधा और विवेक का नियम है।

27.6. ऐसे मामलों में जहां तथ्य के विवादित प्रश्न हैं, उच्च न्यायालय रिट याचिका में अधिकार क्षेत्र को अस्वीकार करने का निर्णय ले सकता है। हालाँकि, यदि उच्च न्यायालय का वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण है कि विवाद की प्रकृति के लिए उसके रिट अधिकार क्षेत्र का प्रयोग आवश्यक है, तो ऐसे दृष्टिकोण में आसानी से हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा।

28. इन सिद्धांतों को रतन बनाम दुर्गा इस न्यायालय द्वारा चंद प्रसाद [चंद रतन बनाम दुर्गा प्रसाद, (2003) 5 एससीसी 399], बाबूभाई खोडीदास मुलजीभाई पटेल बनाम नंदलाल बरोट [बाबूभाई मुलजीभाई पटेल बनाम नंदलाल खोडीदास बरोट, (1974) 2 एससीसी 706] और राजस्थान एसईबी बनाम भारत संघ [राजस्थान एसईबी बनाम भारत संघ, (2008) 5 एससीसी 632] अन्य निर्णयों के अलावा लगातार बरकरार रखा गया है।"

98. इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से माना है कि जब कोई अधिकार किसी कानून द्वारा बनाया जाता है, जो स्वयं अधिकार या दायित्व को लागू करने के लिए उपाय या प्रक्रिया निर्धारित करता है, तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत विवेकाधीन उपाय को लागू करने से पहले उस विशेष वैधानिक उपाय का सहारा लिया जाना चाहिए।

99. हाल ही में, इस न्यायालय ने मेसर्स साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड और अन्य (उपरोक्त) के मामले में भी इसी तरह का निर्णय लिया है।

100. एक और आधार है जिस पर उच्च न्यायालय को याचिका पर विचार करने से इनकार कर देना चाहिए था। एल-7 बोलीदाता की बोली वापस कर दी गई थी और बोली बांड बैंक गारंटी को भी 6 जनवरी 2015 के संचार के माध्यम से विस्तारित नहीं करने का निर्देश दिया गया था। इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश, जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 ने भरोसा रखा है, वह भी 25 अप्रैल 2018 को दिया गया है। हालाँकि, प्रतिवादी संख्या 1 ने 6 जनवरी 2015 से और किसी भी मामले में, 25 अप्रैल 2018 से 14 दिसंबर

2020 तक कोई कदम नहीं उठाया, जिस तारीख को उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की गई थी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि याचिका को केवल देरी और लापरवाही के आधार पर खारिज करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, अगर याचिकाकर्ता देरी से न्यायालय का दरवाजा खटखटाता है, तो उसे न्यायालय को देरी से न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के औचित्य के बारे में संतुष्ट करना होगा। हमारे विचार से, उच्च न्यायालय को देरी और लापरवाही के आधार पर भी याचिका पर विचार नहीं करना चाहिए था।

101. किसी भी मामले में, हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा उस प्रकृति का परमादेश जारी करना उचित नहीं था, जैसा उसने जारी किया है। इस न्यायालय ने एयर इंडिया लिमिटेड बनाम कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड और अन्य¹⁴ के मामले में इस प्रकार टिप्पणी की है:

"7. राज्य, उसके निगमों और सरकार के साधन और एजेंसियों के रूप में कार्य करने वाले निकायों द्वारा अनुबंध प्रदान करने से संबंधित कानून रमना दयाराम शेटी बनाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ((1979) 3 एससीसी 489], फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन कामगार यूनियन (पंजीकृत) बनाम भारत संघ ((1981) 1 एससीसी 568], सीसीई बनाम डनलप इंडिया लिमिटेड [(1985) 1 एससीसी 260 : 1985 एससीसी (कर) 75], टाटा सेलुलर बनाम भारत संघ [(1994) 6 एससीसी एससीसी 651], रमणिकलाल एन. भुट्टा बनाम महाराष्ट्र राज्य [(1997) 1 एससीसी 134] और रौनक इंटरनेशनल लिमिटेड बनाम में इस न्यायालय के निर्णय द्वारा तय किया गया है। आई.वी.आर. कंस्ट्रक्शन लिमिटेड [(1999) 1 एससीसी 492] किसी अनुबंध का पुरस्कार, चाहे वह किसी निजी पक्ष द्वारा हो या किसी सार्वजनिक निकाय या राज्य द्वारा, अनिवार्य रूप से एक वाणिज्यिक लेनदेन है। वाणिज्यिक निर्णय पर पहुंचने में जो विचार सर्वोपरि हैं, वे वाणिज्यिक विचार हैं। राज्य निर्णय पर पहुंचने के लिए अपना स्वयं का तरीका चुन सकता है। यह निविदा के लिए आमंत्रण की अपनी शर्तें तय कर सकता है और यह न्यायिक जांच के लिए खुला नहीं है। यह अपने सामने आए प्रस्तावों में से किसी एक को स्वीकार करने का अंतिम निर्णय लेने से पहले बातचीत में प्रवेश कर सकता है। अनुबंध देने के लिए हमेशा कीमत ही एकमात्र मानदंड नहीं होनी चाहिए। यदि निविदा की शर्तें ऐसी छूट की अनुमति देती हैं, तो यह सद्भावनापूर्ण कारणों से कोई भी छूट देने के लिए स्वतंत्र है। यह प्रस्ताव को स्वीकार नहीं

कर सकता है, भले ही वह उच्चतम या निम्नतम क्यों न हो। लेकिन राज्य उनके द्वारा निर्धारित किए गए उसके निगम, साधन और एजेंसियां मानदंडों, मानकों और प्रक्रियाओं का पालन करने के लिए बाध्य हैं और उनसे मनमाने ढंग से अलग नहीं हो सकते। हालांकि वह निर्णय न्यायिक समीक्षा के लिए उत्तरदायी नहीं है, लेकिन न्यायालय निर्णय लेने की प्रक्रिया की जाँच कर सकता है और अगर उसे दुर्भावना, अनुचितता और मनमानी से दूषित पाया जाता है तो हस्तक्षेप कर सकता है। राज्य, उसके निगम, साधन और एजेंसियों का सार्वजनिक कर्तव्य है कि वे सभी संबंधितों के प्रति निष्पक्ष रहें। यहाँ तक कि जब निर्णय लेने की प्रक्रिया में कुछ दोष पाया जाता है, तो न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत अपनी विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग बहुत सावधानी से करना चाहिए और इसे केवल सार्वजनिक हित को आगे बढ़ाने के लिए प्रयोग करना चाहिए, न कि केवल कानूनी बिंदु बनाने पर। न्यायालय को हमेशा व्यापक सार्वजनिक हित को ध्यान में रखना चाहिए ताकि यह तय किया जा सके कि उसके हस्तक्षेप की आवश्यकता है या नहीं। केवल तभी जब यह निष्कर्ष निकलता है कि भारी जनहित में हस्तक्षेप की आवश्यकता है, न्यायालय को हस्तक्षेप करना चाहिए।"

102. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि इस न्यायालय ने माना है कि अनुबंध का अवार्ड, चाहे वह किसी निजी पक्ष द्वारा हो या किसी सार्वजनिक निकाय या राज्य द्वारा, अनिवार्य रूप से एक वाणिज्यिक लेनदेन है। वाणिज्यिक निर्णय पर पहुँचने में, जो विचार सर्वोपरि हैं वे वाणिज्यिक विचार हैं। यह माना गया है कि राज्य निर्णय पर पहुँचने के लिए अपना स्वयं का तरीका चुन सकता है। यह निविदा के लिए आमंत्रण की अपनी शर्तें तय कर सकता है और यह न्यायिक जाँच के लिए खुला नहीं है। यह आगे माना गया है कि राज्य अपने सामने किए गए प्रस्तावों में से किसी एक को स्वीकार करने का अंतिम निर्णय लेने से पहले बातचीत में प्रवेश कर सकता है। यह आगे माना गया है कि, किसी अनुबंध को देने के लिये कीमत हमेशा एकमात्र मानदंड नहीं होती। यह माना गया है कि राज्य प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता है, भले ही वह उच्चतम या निम्नतम हो। हालांकि, राज्य, उसके निगम, साधन और एजेंसियां उनके द्वारा निर्धारित मानदंडों, मानकों और प्रक्रियाओं का पालन करने के लिए बाध्य हैं और मनमाने ढंग से उनसे विचलित नहीं हो सकते। हालांकि वह निर्णय न्यायिक समीक्षा के लिए उत्तरदायी नहीं है, अदालत निर्णय लेने की प्रक्रिया की जांच कर सकती है और अगर यह दुर्भावनापूर्ण, अनुचित और मनमानी से दूषित पाया जाता है तो

हस्तक्षेप कर सकती है। यह भी माना गया है कि जब निर्णय लेने की प्रक्रिया में कुछ दोष पाया जाता है, तब भी अदालत को अनुच्छेद 226 के तहत अपनी विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग बहुत सावधानी से करना चाहिए और इसे केवल सार्वजनिक हित को आगे बढ़ाने के लिए प्रयोग करना चाहिए, न कि केवल कानूनी बिंदु बनाने पर। अदालत को हमेशा यह तय करने के लिए व्यापक सार्वजनिक हित को ध्यान में रखना चाहिए कि उसका हस्तक्षेप आवश्यक है या नहीं। केवल तभी जब वह इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि व्यापक सार्वजनिक हित में हस्तक्षेप की आवश्यकता है, अदालत को हस्तक्षेप करना चाहिए।

103. जैसा कि इस न्यायालय ने टाटा सेलुलर (उपरोक्त) के मामले में माना है, न्यायालय केवल निर्णय की गुणवत्ता से ही संबंधित नहीं है बल्कि साथ-साथ निर्णय लेने की प्रक्रिया से भी है। जब तक न्यायालय को यह न लगे कि निर्णय लेने की प्रक्रिया मनमानी, दुर्भावना, तर्कहीनता से दूषित है, तब तक न्यायालय को उसमें हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं होगी।

104. वर्तमान मामले में, बीईसी द्वारा अपनाई गई निर्णय लेने की प्रक्रिया इस न्यायालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित सिद्धांतों के पूर्णतः अनुरूप थी। विभिन्न राज्यों में बोली प्रक्रिया में पेश की गई प्रतिस्पर्धी दरों पर विचार करने के बाद बीईसी इस निष्कर्ष पर पहुँची कि एसकेएस पावर (एल-5 बोलीदाता) द्वारा उद्धृत दरें बाजार के अनुरूप नहीं थीं। उक्त निर्णय को राज्य आयोग ने मंजूरी दे दी है। चूंकि बीईसी द्वारा अपनाई गई निर्णय लेने की प्रक्रिया, जिसे राज्य आयोग ने मंजूरी दे दी है, इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुरूप थी, इसलिए विद्वान एपीटीईएल को उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था।

105. किसी भी मामले में, उच्च न्यायालय, आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा, राज्य के साधनों को ऐसा अनुबंध करने के लिए आदेश जारी नहीं कर सकता था, जो सार्वजनिक हित के लिए पूरी तरह से हानिकारक था। चूंकि, यदि उर्जा / बिजली को प्रतिवादी संख्या 1-एमबी पावर द्वारा उद्धृत दरों पर क्रेताओं द्वारा खरीदा जाना है, जो एसकेएस पावर (एल-5 बोलीदाता) द्वारा उद्धृत दरों से भी अधिक है, तो राज्य को हजारों करोड़

रुपये का वित्तीय बोझ उठाना पड़ता, जो बदले में उपभोक्ताओं पर पड़ता। इस प्रकार, हमारा विचार है कि न्यायालय द्वारा जारी किया गया परमादेश बड़े उपभोक्ताओं के हित और परिणामी सार्वजनिक हित को ध्यान में रखने में विफल रहने के कारण जारी किया गया है। इसलिए, हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश कानून में टिकने योग्य नहीं हैं और इसे रद्द और अलग रखा जाना चाहिए।

सिविल अपील संख्या 6503 / 2022 और सिविल अपील संख्या 6502 /2022

106. इसलिए, अपीलों को स्वीकार किया जाता है। राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर की खंडपीठ द्वारा दिनांक 20 सितंबर 2021 को डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 14815/2020 में पारित आदेश को निरस्त किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 1-एम.बी. पावर (मध्य प्रदेश) लिमिटेड को अपीलकर्ताओं को प्रत्येक मामले में 5,00,000/- (पांच लाख रुपये) की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है।

107. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाएगा।

सिविल अपील संख्या 4612/2023

108. चूंकि हमने डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 14815/2020 में उच्च न्यायालय के दिनांक 20 सितम्बर 2021 के निर्णय और आदेश को पहले ही निरस्त कर दिया है और वर्तमान अपील में आक्षेपित आदेश उच्च न्यायालय के दिनांक 20 सितम्बर 2021 के उक्त आदेश पर आधारित है, इसलिए वर्तमान अपील को भी स्वीकार किया जाता है। विद्वान एपीटीईएल के दिनांक 1 जून 2023 के निर्णय और आदेश को निरस्त किया जाता है और अपास्त किया जाता है।

109. चूंकि हमने सिविल अपील संख्या 6503/2022 और 6502/2022 में लागतों का बोझ डाला है, इसलिए वर्तमान अपील में लागतों के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

110. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा किया जाता है।

..... जे.

[बी.आर. गवई]

..... जे.

[प्रशांत कुमार मिश्रा]

नई दिल्ली;

जनवरी 08, 2024

¹(2010) 4 एससीसी 603-2010 आईएनएससी 146

²(1963) 3 एससीआर 22-एआईआर 1963 एससी 1-1962 आईएनएससी 205

³(2021) 4 एससीसी 786-2020 आईएनएससी 497

⁴2022 एससीसी ऑनलाइन 1615-2022 आईएनएससी 1220

⁵(2017) 14 एससीसी 80-2017 आईएनएससी 338

⁶2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 464-2023 आईएनएससी 398

⁷(1994) 6 एससीसी 651 (पैरा 94) 1994 आईएनएससी 283

⁸(2007) 1 एससीसी 477 (पैरा 8, 9 और 11)-2006 आईएनएससी 766

⁹(1996) 4 एससीसी 208-1996 आईएनएससी 409

¹⁰(2023) 3 एससीसी 1-2023 आईएनएससी 2

¹¹(2019) 3 SCC 352-2019 INSC 63

¹²(2021) 6 एससीसी 771-2021 आईएनएससी 266

¹³2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 435 =2023 आईएनएससी 379

¹⁴(2000) 2 एससीसी 617-2000 आईएनएससी 39

नृपेन्द्र सिनसिनवार, एडवोकेट